गरीबों के अधिकार

एक पुस्तिका
उत्तराखण्डी संस्थाओं के लिए

न० 1 जून 2015

EMMANUEL HOSPITAL ASSOCIATION
CHGN Uttarakhand Cluster

ProjectBurans
working with communities for mental health in Uttarakhand

अधिकार सम्बन्धी सफलता की सच्ची घटनाएं

करीन को विधवा पेंशन मिलना

करीन उतर प्रदेश से दिल्ली नयी शादी हो के आई। उसका पूरा परिवार दिल्ली के पूर्व में अपने पति और 4 बच्चों के साथ अस्थायी झुग्गी जो अवैध तौर से बनायी गयी झुगियों समूह में रहतें थे । 2007 में करीन की 11 महीन की बच्ची की मृत्यु दस्त के कारण से हुयी । कुछ महीनों के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गयी । इस बार शायद टीबी के वजह से हुई। करीन अपने 3 बच्चों के साथ , बिना आमदनी के साथ, एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी और उनकी हालात बहुत बुरे थे।
दिल्ली सरकार ने विधवाओं के लिए 1000 रू की पेंशन रखी है पर वो करीन को नहीं मिल रही थी। कुछ साघारण जानकारियों से पता चला की समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मिलती है। (कृपया पृष्ठ 11 इस पुस्तिका का देखें) । प्रशासन ने कहा की करीन इस पेंशन के योग्य नहीं हैं क्योकि उसके पास खाता नहीं हैं । करीन के पास कभी बैंक खाता नहीं था, तो हम पास के बैंक गए उसका खाता खुलाने । बैंक मेनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया और कहा की पहचान दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है (कृपया पृष्ठ 41 इस पुस्तिका का देखें)। करीन के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था तो हमारा अगला पड़ाव चुनाव विभाग था हमने विभाग से करीन के लिए चुनाव वोटर कार्ड पूछा । काफी दिनों के बाद वह उसकी झुग्गी आये। उन्होनें सर हिलाते हुए कहा माफ़ करिए यह झुग्गी में रहती हैं , हम इन्हें वोटर कार्ड नहीं दे सकते। हमनं विरोघ किया और बताया की यह कानून है हर भारतीय नागरिक का एक पहचान पत्र होना अधिकार है चाहे वो झुग्गी में रहे या राजमहल में रहे (कृपया पृष्ठ 37 इस पुस्तिका का देखें) । थोड़ी देर के बाद उन्होंनें सर हिलाया और हाथ खुजलाते हुए मान गए ।
एक हफ्ते के बाद, हम पहचान पत्र के साथ फिर बैंक गए, शुक्र है उन्होंने बैंक खाता खोल दिया। हम फिर दुबारा समाज कल्याण विभाग गए, इस भरोसे की हमें सफलता मिलेगी, परन्तु हम फिर असफल हुए । बैंक खाता हो या न हो, एक सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह साबित हो की वो दिल्ली में 5 साल से रह रही है । हताश होकर प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग मुख्य अधिकारी को लिखा (कृपया पृष्ठ 11 इस पुस्तिका का देखें),जिन्होंने आखिर कार हमारे निवेदन को मान लिया । ६ महीने की सरकारी उथल पुथल के बाद, करीन को आखिर में पेंशन मिलने लगी, और ५ महिने का भुगतान भी मिला, अब उसके पास ५००० रू बैंक खातें में हैं।

महिलाओं को MGNREGA रोज़गार मिलता हैं

जागीर गांव, बिजनौर क्षेत्र, उतर प्रदेश की महिलाओं को पता नहीं था की वो *MGNREGA* योजना के लागू रोज़गार के योजना के योग्य है या नहीं (कृपया पृष्ठ 10इस पुस्तिका का देखें), उनके पतियों के पास रोज़गार कार्ड होता है पर वो रोज़गार की तलाश में बाहर जातें है। शेयर प्रोजेक्ट के कर्मचारी ने सूचित किया की वास्तव मे महिलाएं भी इस योजना की हकदार है। यह जानकर महिलाएं ग्राम प्रधान के पास काम मांगने गयी। अतः उन्हें *MGNREGA* योजना के अंर्तगत सड़क निर्माण में रोज़गार मिला।

गुड्डन के लिए गैस कनेक्शन की मुहीम

गुडडन करीब 2 साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगा हुआ था। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार कोई न कोई बहाना बोल के उससे कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुडडन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सिखा की कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है (कृपया पृष्ठ 26 इस पुस्तिका का देखें) और यह भी सीखा की किस तरह से आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार द्वारा। इस सीख के साथ वो दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी । उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुडडन ने उन्हें धमकाया की वो बड़ें अफसर जो लखनऊ में है शिकायत करेगी बस इतना बोलना उन सब के लिए काफी था कर्मचारी उसकी हिम्मत को देख कर सक्पक्का गए और वो तुरंत काम पे लग गए। और फिर गुडडन को कनेक्शन 1 हफ्ते मिल गया।

इस दस्तावेज़ के बारे में

उत्तराखण्ड में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जो आश्चर्यजनक है। उनमें से बहुत सारी सुविधाएं गांवो और शहरों की मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए अधिकार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी कर्मचारियों में पाऐ जाने वाले भ्रष्टाचार या उनके आलसपन के कारण या स्वयं निवासियों में जागरूकता या उनमें विश्वास की कमी के कारण मलिन बस्तियों के ज़्यादातर निवासी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अक्सर जब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हम खुद सुविधाएं देते हैं जैसे स्कूल, क्लिनिक आदि । उन सुविधाओं के लिए लोग हमें पसंद करते हैं लेकिन हम सुविधाएं हमेशा तक नहीं चला सकता हैं। कभी न कभी हमें लोगों की मदद करनी होगी ताकि उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सके।
इस दस्तावेज़ की जानकारियाँ एक हिस्सा ही है उस बड़ी योजना का जिस से दिल्ली बस्ती के निवासी जागरुक्त और सशक्त बन सकें । सशक्तिकरण के लिए गरीबों को ना सिर्फ़ उपलब्ध सुविधाएँ का **जानकारी** होने चाहिए (पृष्ठ 6-42)। उसके अलावा अचछी आवेदन और RTI लिखने के **कुशलता** होने चाहिए (अतिरिक्त 3 पृष्ठ 46– 5 पृष्ठ 49) और सब से ज़रूरी है कि उनके **दिल** का बदलाव हो ताकि वे एक दूसरे की मदद करें। अतिरिक्त 1 पृष्ठ 43 में कुल दस कदम दिए गए है जिसे निवासी ज्ञानी कशल और दिल से सशक्त हो सकते हैं।

ये दस्तावेज़ इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है कि उनके कार्य को आसान बनाया जा सके जो उत्तराखण्ड के गरीब लोगों के बीच सेवाओ को उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ 4,5 पर तालिका में दी गई हर एक सेवां की सूची के लिए हमने सामान्य आकार दिया है;
क. सम्बंधित **सरकार के विभाग** जो ये सेवा प्रदान करते हैं (उसके वेबसाइट होमपेज के साथ)। कुछ विभागों की वेबसाइट यहाँ देख सकतें हैं

ख. उस विभाग की नीति के अनुसार निवासियों के **अधिकार**; अधिकांश अधिकार केन्द्र सरकार के नागरिक वेबसाइट पर यहाँ देखे जा सकते हैं उत्तराखण्ड स्थित जनसम्पर्क विभाग में यहाँ देखें। अतिरिक्त 2 पृष्ठ 45 में सेवाएँ और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों के लिए सेवाए सरांश में दी गई हैं।

ग. आवेदन प्रकिया योग्यतनुसार आवेदन करने हेतु; आवेदन की बहुत सारी प्रकियाएं यहां और यहाँ और कुछ आवेदन पत्र पृष्ठ 53 से मिल सकती हैं। अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना अतिरिक्त 3 पृष्ठ 46 में दिया गया है जिसे से आपको सहायता मिलेगी। आवेदन की सफलता की आशा एवं उसमें लगने वाले समय के बारे में भी हमने इसमे बताया है। हम सब जानतें हैं कि शुरु में अकसर हमारी आवेदन को सफलता नहीं मिलती क्योंकि जिस अफ़सर के पास हम अपना अवेदन पत्र जमा कराते है वो :

- छुटटी पर हो या चुनाव कार्य में लगा होता है।
- बोले कि आप गलत कार्यालय में आ गए हैं और दूसरी जगह जाने को बोलें।
- बोले कि उसका कोई अधिकार नहीं है आपके दिए गए आवेदन पर और जो अधिकारी कुछ कर सकते थे वो छुटटी पर है या बिमार है।
- बोले कि उसके पास इस साल के लिए बजट नहीं है या दफ़्तर में कर्मचारी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाएगा।
- कुछ चाय पानी मिल जाता तो (यानी घूस मांगना)। पृष्ठ 48 में विस्तार से सुझाव दिए गए है जिस से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है।

घ. सहायता सुझाव, अगर आवेदन में सफलता न मिले। उन सलाह में शामिल हैं:

- स्वयं सरकार द्वारा **दिल्ली नागरिक चार्टर** में दिए गए सुझावः या
- **केन्द्र सरकार** के स्वयं के **शिकायत आयोग** के द्वारा शिकायत दायर करना http://pgportal.gov.in/
- **उत्तराखण्ड सरकार** के स्वयं के **शिकायत आयोग** के द्वारा शिकायत दायर करना http://samadhan.uk.gov.in/
- उस विभाग में **सूचना के अधिकार अधिनियम** के अन्तर्गत आवेदन दायर करना जहां आपने आवेदन किया है। प्रभावशाली सूचना का अधिकार के प्रयोग पर टिप्पणी और आरटीआइ का नमूना अतिरिक्त 5 पृष्ठ 49 में दिया गया है जिसे से आपको सहायता मिलेगीः या
- वकील जो शायद मदद कर सकता है Justice Ventures International.011-4050170 delhi@justiceventures.org
- मैडिया को संपार्क करना। मैडिया के प्रयोग पर टिप्पणी अतिरिक्त 6 पृष्ठ 51में दिया गया ह

ङ. सफलता की कहानी दिखाती है कि क्या उत्तराखण्ड की परिस्थितियों में सचमुच में ये आवेदन/सहायता कार्य करती है।

अगर आप इस पुस्तिका को अपने सहायता के कार्य में उपयोगी समझते हैं और जैसा कि हम आशा भी करते हैं, तो कृपया इसे अन्य सही स्वयं– सेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को जो उत्तराखण्ड के गरीबों के लिए काम कर रहें हैं, के साथ भी **बांटे**। जानबूझ कर इसे कॉपी राइट के अन्तर्गत नही रखा गया है। अगर आप इसकी लिखित प्रति पढ़ रहे हैं, तो आप हिन्दी और अंग्रेज़ी में इसकी कमप्यूटर–कॉपी इ.एच.ए. के वेबसाइट www.eha-health.org से (See 'Advocacy Manuals') पर क्लिक कर के निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों के दौरान हम अन्य भारतीय प्रदेशों के लिए उनकी भाषा में अनुवाद करेंगे। दिल्ली, उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छततीगढ़, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बँगाल और मनिपुर तो हो चुका । वे दस्तावेज़ भी EHA के वेबसाइट पर है। हम वर्कशोप लेने को तैयार है जिस से गरीब समुदाय सशक्त बन सकें। ।

अन्त में हम ये कहना चाहेंगे कि योग्यता और शिकायत प्रक्रिया में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः अगर आप इस पुस्तिका में कोई गलती/भूल पाते हैं तो और अगर इस में शामिल करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें जानकारी दें और हम इसे इसमें शामिल करेंगे।
आपकी सहायता के लिए, शुभ कामनाओं के साथ ।

मार्क डिलानी
Emmanuel Hospital Association
mark@eha-health.org

पहला क़दम – अपनी बस्ती के सरकारी दफ्तरों को जानें

आरम्भ में यह जानना आपके लिए लाभदायक होगा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न स्तर के सरकारी के संरचना में आपका गांव कहां आता है। अगर अपने क्षेत्र की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं तो नीचे दिए गए टेबल में उसे लिखें। **इ.एच.ए के छतरपुर सी.एच.डी** की सूचनाएं केवल उदाहरण के लिए के लिए दी गई हैं। उन उदाहरणों को मिटा दें और उसकी जगह अपने गांव की सूचना को लिखें।

- उत्तराखण्ड 5 लोक सभा क्षेत्र में विभाजित हैं। हर क्षेत्र का एक अपना चुना हुआ लोकसभा सदस्य जो लगभग 10 लाख लोग अपने मतदाताओं के लिए जिम्मेदार है। आपके लोकसभा सदस्य सीखने के लिए यहाँ या यहाँ (भारत के मानचित्र के लिए नीछे देखें) और अपना प्रदेश पर फ़िर अपने लोकसभा क्षेत्र पर क्लिक करें । लोकसभा सदस्य के जानकारी के लिए (मोबाइल नम्बर आदि) उसके नाम पर क्लिक करें ।
- उत्तराखण्ड **राज्य सरकार 70** विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित है। हर एक विधान सभा क्षेत्र से एक विधायक विधान सभा के लिए चुना जाता है जो अपने लगभग 1.4 लाख मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है। विधान सभा के सदस्य सीखने के लिए यहाँ या यहाँ क्लिक करें (भारत के मानचित्र के लिए नीछे देखें) और अपने प्रदेश पर फ़िर अपने लोकसभा क्षेत्र पर क्लिक करें । विधान सभा के सदस्य की सूची के लिए नीचे दायें देखने। अपने विधान सभा क्षेत्र के नाम पर क्लिक करें अपने विधान सभा सदस्य से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए।
- उत्तराखण्ड की स्थानीय सरकार ग्राम पंचायतों में विभाजित है। एक ग्राम पंचायत में औसतन 5,000 लोगों के घर होते हैं। हर एक ग्राम पंचायत का एक चुना हुआ प्रधान होता है। हर एक पंचायत में औसतन 2 गांव होते हैं। सब ग्राम पंचायतों के जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें ।
- प्रशासकीस उद्देश्य से, उत्तराखण्ड 2 मण्डल में विभाजित है जो एक डिविजनल कमिशनर के तहत है। मानचित्र और प्रत्येक डिवीजन की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।
- फिर प्रत्येक डिवीजन कई जिलों में विभाजित होती है। उत्तराखण्ड में कुल 13 जिले हैं। मानचित्र, मुख्यालय कुल 13 जिलों की जनसंख्या को जानने हेतु यहाँ क्लि करें (नीचे की ओर स्क्रॉल करें)। प्रत्येक जिला का मुखिया जिला कलक्टर होता है। जिला कलक्टरों की सूची और उन से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
- फिर प्रत्येक जिला कई तालुक/तहसील या सब–जिले में विभाजित होता है। हर एक तहसील/तालुक एक सबडिवीजनल मैजिस्ट्रट के अधीन होता है।
- प्रत्येक जिला फिर कई प्रखण्ड विकास या शहरी क्षेत्र में विभाजित होता है। तहसील, प्रखण्ड विकास और शहरी क्षेत्र के नाम जानने के लिए *www.districts.nic.in* इंटरनेट पर चलो।
- अन्य अधिकारियों जैसे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आदि की जानकारी हेतु वेबसाइट इस पुस्तिका के उपयुक्त पृष्ठ पर दी गई है। जब आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वह जानकारी इस टेबल में डालें।

सेवा	पुस्तिका पृष्ठ सं.	ज़ोन/क्षेत्र का नाम	नाम/पता/फ़ोन न0.
राजनीतिक विभाजन			
राष्ट्रीय लोक सभा (चुनाव क्षेत्र)	3	पैड़ी गढ़वाल	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी / पैलेस पीओ नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 249175. भगवान दास रोड, फोन - 01378 227231, 227235
विधान सभा क्षेत्र	3,37	देहरादून कैंट	श्री हरबंस कपूर / विधान भवन, देहरादून / फोन – 01378 2665885/ फैकस – 01378 2666788
स्थानीय प्रशासन (पंचायत)	29	आसनसोल सालानपूर देनूअ	नेओति मंडल
प्रशासनिक डिवीजन			
डिवीजन	3		
जिला मैजिस्ट्रेट	39,40	देहरादून	बीवीआसी पुरुषोत्तम / जिला मैजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, देहरादून / फोन 0135- 2622389
सब–जिला (एस.डी.एम)	39,40	मसूरीए देहरादून	0135- 2632503
विकास प्रखण्ड (ब्लॉक)	6	चकराता , देहरादून	0135- 2724903
इस पुस्तिका में खास सेवाए			
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	16–18	देहरादून	0135-2724506, 2658104
निकटतम जिला अस्पताल	16	जिला चिकित्सालय , उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड	01374 222 103
निकटतम सा. स्वा.केंद	16–18	देहरादून	35, शास्त्री नगर, हरिदवार रोड, देहरादून जीपीओ, देहरादून / फोन 9719965766
निकटतम सा. प्रा.स्वा.केंद्र	16–18	देहरादून	आथर्वाला, भानियवाला, ऋषिकेश, देहरादून / फोन 0135- 2411036
गेस	26	देहरादून	वेली गैस सर्विस, 52/4 दिलाराम बाजार राजपुर रोड, देहरादून / फोन – 01352741458
स्थानीय पुलिस थाना	35	कोटवाली कैंट पुलिस स्टेशन	कोटवाली कैंट पुलिस स्टेशन / फोन – 135- 2716221, 9411112812

विषयों की सूचि (सीधे पृष्ठ पर जाने के लिए क्लिक करें

क. पीने का पानी....6

ख. खाद्य 7

1खाद्य – (राशन कार्ड)....7

2खाद्य – (ऑगनवाड़ी) 8

3खाद्य – (स्कूली बच्चे–मध्यान्तर भोजन परियोजना (एम एम एस)....9

ग. आय....10

1आय – (नरेगा)....10

2आय – (पेंशन और सामाजिक सुरक्षा)....11

3आय – (बच्ची के लिए 1 लाख) 13

4आय – रोज़गार के लिए प्रशिण....14

5आय – ड्राइविंग लाइसेंस....15

घ. स्वास्थ्य....16

1स्वास्थ्य – (सरकारी अस्पताल) 16

2स्वास्थ्य – (टीकाकरण) 17

3स्वास्थ्य – (गर्भधारण–जे.एस.वाई/आशा)....18

4स्वास्थ्य – (विकलांगता सेवाएं)....19

5स्वास्थ्य – (नशा पुनर्वास)....20

6स्वास्थ्य –एच आई वी – एडज़....21

ड. विद्यालय....22

1शिक्षा – स्रकारी स्कूल....22

2शिक्षा – छात्रवृत्ति और लाभ....23

3शिक्षा –राष्ट्रीय मुक्त विधलयी शिक्षा संस्थान....24

च. उपयोगिताएं....25

1 उपयोगिताएं – (बिजली)....25

2उपयोगिताएं – (गैस) 26

छ. सफ़ाइ....27

1सफ़ाई – (शौचालय)....27

2सफ़ाई – (नाली करंजा) 28

ज. आवास 29

1आवास– (इंदिरा आवास योजना) 29

2आवास – (भूमिहीनों के लिए भूमि) 30

झ. कृषि....31

1कृषि (सिंचाई) 31

2कृषि – (कृषि बीमा) 32

3कृषि – (आर्थिक सहायता) 33

ञ. सड़कें 34

ट. मानवाधिकार....35

1मानवाधिकार . घरेलू हिंसा....35

2मानवीय अधिकारः बाल मज़दूर और वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार....36

ठ. पहचान के दस्तावेज़.....37
1पहचान के दस्तावेज–(मतदाता फोटो पहचान पत्र).....37
2पहचान के दस्तावेज़ – आधार कार्ड 38
3पहचान के दस्तावेज़ – (जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र).....39
4पहचान के दस्तावेज़–(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र.....40
5पहचान के दस्तावेज़ – (बैंक खाता).....41
6पहचान के दस्तावेज़ – (व्यक्तिगत खाता नम्बर (पैन कार्ड).....42
ड– अतिरिक्त 43
1अतिरिक्त–(सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस क़दम).....43
2अतिरक्ति – सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की टेबल 45
3अतिरिक्त – अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना.....46
4अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है?.....48
5अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी 49
6अतिरिक्त – मीडिया को इसतेमाल करना 51
7अतिरिक्त – (प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप).....52
आवेदन पत्र.....53
1आवेदन पत्र – रशन कार्ड आवेदन (कृपया पृष्ठ 7 देखें).....53
2आवेदन पत्र – नरेगा पृष्ठ 10 देखे.....54
3आवेदन पत्र – पंशन पृष्ठ 11देखे.....55
4आवेदन पत्र – विक्लांगिता प्रमाण पत्र आवेदन (कृपया पृष्ठ 19 देखें).....58
5आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 19 देखें).....60
6आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र(कृपया पृष्ठ 37देंखें).....61
7आवेदन पत्र – आघार कार्ड(कृपया पृष्ठ 38देंखें).....65
8आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 42 देखें).....66

क. पीने का पानी

पीने का पानी हर व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का मूल अधिकार हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएँ निश्चित रूप से हर भारतीय के लिये प्रदान की गयी हैं।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** – पेय जल एंव सफाई विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार

- **उत्तराखण्ड जल संस्था:** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

स्थानीय प्राधिकारी

- **गढ़वाल जल संस्था शहर के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है**
- कस्बाओं और शहरों में नगर पालिका से संबंधित ज़िले

2 अधिकार *(Best Source: Bharat Nirman booklet (p.11-13)* http://bharatnirman.gov.in/download.pdf *)*

केन्द्र सरकार

1- **भारत निर्माण** के अन्तर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2012 तक सबको सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा। (वेब साइट यहां देखें)

- **पानी की मात्रा:** प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए
  पीने का 3 लीटर, भोजन बनाने का 5 लीटर, नहाने का 15 लीटर, धोने का 7 लीटर, अन्य 10 लीटर कुल 40 लीटर (See p11 of Bharat Nirman booklet here)
- **पर्याप्त कराने की विधि:** प्रत्येक 250 लोगों पर एक हैंड पम्प;
- 1.6किलोमीटर के दूरी अंदर (मैदानों मै) और 100मीटर की ऊंचाई (पहाड़ियों मे) (यहाँ भारत निर्माण के पृष्ठ 11 देखें)
- **गुणवत्ता:** वर्जित स्तर से बैक्टेरिया, केमिकल (आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि) अधिक न हो और सुरक्षित हो।

2- **वाटसन (यूनिसेफ)** पीने का पानी, शौचालय। (वेब साइट यहां देखें)

3- **राष्ट्रीय जल एवं सफाई मिशन (वेब साइट यहां देखें)**

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत, समय सीमा 3 माह)

- यहाँ केन्द्र सरकार की वेब साइट परं कि क्या आपके गांव में पानी की उपलब्धता की सरकारी सूचना सही है (एक विशेष गांव को ढूंढें)।
- (सभी जिलों को देखने के लिए 'एच.पी. स्टेटस' तक स्क्राल करें, उपयुक्त क्षेत्र में अपने जिले को देखें)
- यहाँ केन्द्र सरकार के वेब साइट पर देखें कि क्या सरकार ने आपके प्रखण्ड के जल के स्रोतों की जांच की है या नहीं।
- ऊपर दिए गए मानक के अनुसार अगर गुणवत्ता और मात्रा सही नहीं है तो जांच या नए स्रोतों के लिए आवेदन केन्द्र सरकार: राजीव गांधी पेय जल मिशन, सम्पर्क सूचना यहाँ है;

4. दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- जहाँ शिकायत की वहाँ फ़िर दोबारा शिकायत करें।
- RTI to Uttarakhand Zonal office to where you applied. For PIO addresses click here (in Hindi).
- राजीव गांधी पेय जल मिशन में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें। यहाँ

5. सफलता की कहानी

पारवा गांव हैन्डपम्प खराब हो गया था। गांव में ग्रामीण एवम स्वास्थ्य समिती द्वारा आवेदन लोक स्वास्थ्य और यंत्री विभाग को दिया गया। 3 दिन के बाद हैन्डपम्प चालू हालात में हो गया।

ख. खाद्य

1 खाद्य – (राशन कार्ड)

राशन कार्ड व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नाम से जाना जाता जिसका उदेश्य है हर परिवार के लिए रियायती खाने का समान कम दामो में मिलना (बाज़ार से भी कम) । हालाकि हर जगह की तरह यहाँ भी भ्रष्टाचार की समस्या है इसीलिए सरकार राशन कार्ड की व्यवस्था को नकद भुकतान के रूप में देने का विचार कर रही है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

- Nutrition Resource Platform www.poshan.nic.in

उत्तराखण्ड सरकार – **खाद्ये एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: Supreme court order* **http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/TPDS.html***).*

क) स्थाई निवासी ए.पी.एल (गरीबी रेखा से ऊपर) राशन कार्ड
उत्तराखंड में स्थाई रूप से निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को चाहे उसकी आय कुछ भी हो राशन कार्ड जारी हो सकता है।
ख) निर्धन निवासी बी.पी.एल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड (सर्वोच्च न्यायालय के आदेश यहाँ क्लिक करें)
ग) असहाय निवासी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड यह असहाय निवासी के लिए या बी.पी.एल पर हो या न हो (यहाँ क्लिक करें)
घ) राशन का दर एवं गुणवत्ता (खाद्या एवं सिविल आपूर्ति विभाग के अनुसार, वेब साइट हेतु यहाँ क्लिक करें)

	गेहूं	चावल	चीनी	मिटटी तेल
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) (सफेद)	35 किलो / रू 6.6	35 किलो / रू 8.45	0	22 लीटर/रू 13.5
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पीला	35 किलो / रू 4.65	35 किलो / रू 6.15	6 किलो / रू 13.25	22 लीटर/रू 13.5
अन्नत्योदय योजना (एएवाई) (डिस्टीच्युट)	35किलो / रू 2	35 किलो / रू 3	6 किलो / रू 13.25	22 लीटर/रू 9.16

3 आवेदन का तरीक़ा

i) यहाँ इस साइट पर अपने राशन कार्ड मान्य है की जाँच करें , यदि नही तो;
क) एपीएल आवेदन का तरीक़ा (प्रकिया यहाँ देंखें)।(सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 1 महीना)
अपने सर्किल कार्यालय में फॉर्म (यहाँ से डाउनलोड करें या पृष्ठ 53 पर देखें) इनके साथ जमा करें– 25 रूपये, निवास के प्रमाण (बिजली आदि के बिल की फ़ोटी कॉपी), दो पड़ोसियों की गवाही, दो पासपोर्ट फोटो, एक एम एल ए के द्वारा सत्यापित; 15 दिनों के अन्दर कार्ड प्राप्त करें।

ख) बी पी एल आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 2 महीने)
जांच लो कि आपके परिवार बी पी एल सूची पर है या नहीं यहाँ या यहाँ देख सकते हैं। अगर वह पंचायत द्वारा निकाली गई सूची में हो वो बी पी एल आवेदन दें सकते है। जाँच पड़ताल के बाद उन्हें कार्ड जारी किया जाता है। निम्नलिखित प्रकिया

- व्यक्ति पंचायत में आवेदन दें।
- पंचायत आवेदन ब्लोक ओफिस जनपद में देगें।
- जनपद सी ई ओ कार्ड जारी करेंगें।

ग) अन्नत्योदय अन्न योजना आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 10 प्रतिशात। समय सीमा 6 महीने)
ऊपर की प्रक्रिया की भांति, परन्तु एक फॉर्म पर असहाय होने की स्वः घोषणा। यह श्रेणी फिलहाल केवल विधवाओं के लिए ही उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से असहाय हैं।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) जांच लें कि क्या आप गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हैं (यहाँ या यहाँ मिल सकता है)। अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है और आप बी.पी.एल में नहीं है तो: जिस व्यक्ति को बी.पी.एल राशन कार्ड न दिया जाए, 30 दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को निवेदन लिखें। 60 दिन के अंदर प्राधिकारी फ़ेसला ले लेगी। अस्थाई बी.पी.एल राशन काड दिया जाएगा जब तक फ़ेसला न लिया जाए (उच्चतम न्यायालय के आदेश यहाँ क्लिक करें) ।
ख) उत्तराखण्ड सरकार खादे्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें (पता हेतु यहाँ); फिर
गा) रोजी–रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें (वेब साइट यहाँ है)

2 खाद्य – (आँगनवाड़ी)

भारत में कई बच्चों को खाने को नहीं मिलता। आँगनवाडी परियोजना के द्वारा 6 महीने – 6 साल के बच्चों (स्कूल जाने से पहले) को पौष्टिक खाना,टीकाकरण और विटामिन मौहिया कराया जाता हैं । कई राज्यों में यह योजना सफल रूप से कार्य कर रही हैं । जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुँचते हैं वह मध्यान्तर भोजन योजना के सहभागी बन जाते हैं (मध्यान्तर भोजन पृष्ठ 9 देखें)

1 सम्बंधित विभाग

आँगनवाडी परियोजना समायोजित बाल विकास परियोजना का भाग है। समायोजित बाल विकास योजना राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार का महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय बजट और दिशा–निर्देश प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार इसका संचालन करता है।

केन्द्र सरकार –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार –

- महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।
- Integrated Child Development Scheme (here)

2 अधिकार *(Best Source: Supreme Court order* **http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/ICDS.html** *)*

6 सल की उम्र के तहत तक हर 40 बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (#9) के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस पर उच्चतम न्यायालय के हुक्म को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आंगनवाडी परियोजना के अन्तर्गत बच्चे कर सकते हैं:

- आगनवाडी केन्द्र प्रत्येक दिन 10 बजे से 1 बजे तक जा सकते हैं।
- 500 कैलौरी पौष्टिक नाश्ता मिले जैसे दलिया, चना आदि।
- शिक्षा से सम्बंधित खिलौनों के साथ शिक्षा से सम्बंधित खेल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विटामीन (जैसे लौह) प्राप्त कर सकते हैं।
- पूरक पौष्टिकता कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं (पौष्टिक आहार जैसे दलिया, चना आदि);
- कुपोषित बच्चों के लिए घर ले जाने वाला पौष्टिक आहार; और
- वज़न/लम्बाई के निरन्तर लिए जाने वाले जांच में शामिल हो सकते हैं जिसका रिकार्ड एक कॉर्ड पर रखा जाता है।
- बच्चे जो दशा 3 के कुपोषित में पाए जाते हैं उन्हें *NRC* में 14 दिन के लिए रखा जाता है। जहाँ उन्हे पौष्टिक आहार और डाक्टरी सेवा दी जाती है । उस दौरान माता को भी 65रू व खाना एव आने जाने का भुगतान दिया जाता हैं ।
- गर्भवती और नर्सिंग माताों के लिए 600 कैलोरी नाश्ता।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 2 माह)

क) देखें की आपके ज़िले में आंगनवाडी हैं या नहीं यहाँ देखें।
ख) अपनी बस्ती के 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों की सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ बनाएं: नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि और माता पिता की स्वीकृति। मांग पर आंगनवाडी से सम्बंधित कोर्ट आर्डर (बिंदू 8 देखें) देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। सूची को दहरादून में महिला एवं बाल विकास विभाग के दफतर में जमा करें ;पता यहा

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) उत्तराखण्ड आई.सी.डी.एस प्रोग्राम के लिए जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें (पता हेतु यहाँ या यहाँ); या उसके बाद
ख) रोजी–रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें। (वेबसाइट यहाँ)

5 सफलता की कहानी

नुना गांव की पूनम सेन, पिता सीताराम सेन एक साल 11 माह की लड़की जो अतिकुपोषित है जिसका वज़न 8किलो 700ग्राम था। आशा के द्वारा 15 दिन के लिए *NRC*में भेजा गया। जहाँ उसका वज़न 9किलो 700ग्राम बढ़ा हैं। सरकार की तरफ से 15 दिन के लिए 65 रू प्रतिदिन मज़दूरी के हिसाब से 975रू दिया गया। बच्ची पहले से स्वस्थ है उनके माता पिता खुश हैं।

3 खाद्य – (स्कूली बच्चे–मध्यान्तर भोजन परियोजना (एम एम एस)

मध्यान्तर भोजन योजना का उदेश्य है की हर स्कूली बच्चे (कक्षा 8 तक) को एक समय का पौष्टिक खाना मिले। यह योजना भी भ्रष्टाचार से प्रभावित है। परन्तु कई राज्यों में यह योजना सफल रूप से कार्य कर रही है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें)।
उत्तराखण्ड सरकार – मिड डे मिल ऑथोरिटी (वेबसाइट के लिए यहा क्लिक करें)।

2 अधिकार *(Best Source: Supreme court order* **http://www.sccommissioners.org/FoodSchemes/MDMS.html** *)*

- समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 तक के प्रत्येक बच्चे को स्कूल के प्रत्येक दिन पौष्टिक आहार।
- मध्यान्तर भोजन योजना के बारे में रोजी–रोटी अधिकार अभियान के कार्य को देखने हेतु यहाँ क्लिक करें।
- 100 मिलियन बच्चे इसके अन्तर्गत आते हैं (संसार का सबसे बड़ा पोषक आहार कार्यक्रम)
- हर दिन, 2 मॉ बाप को भोजन देखने का अधिकार हैं

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

- समस्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 8 तक) में मध्यान्तर भोजन परियोजना होनी ही चाहिए।
- अगर उनके यहाँ नहीं है तो बच्चों के माता–पिता को सम्बंधित स्कूल को सीधे लिखना चाहिए।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

अगर भोजन की गुणवत्ता या मात्रा में कोई समस्या है तो:

1. विद्यालय में सीधे तौर से शिकायत करें, फिर
2- सीधे **मध्यान्तर भोजन प्राधिकरण** से शिकायत करें (सम्पर्क नम्बर यहाँ से प्राप्त करें।)
3- रोजी–रोटी अधिकार अभियान से सम्पर्क करें। (वेबसाइट यहाँ है)

5 सफलता की कहानी

यह कहानी गुड़पारा गांव की है। स्कूल में मध्यान भोजन के बारे में अध्यापक और बच्चों से पूछा तो पता चला की राशन कम मिलता है जिसके कारण बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस पर जौर्ज वेसली , समूह के अध्यक्ष राजेश राजन व सरपंच रतिराम प्रजापति के साथ बैठक करके इसका समाधान किया गया और समूह को निर्देश दिया गया कि पूरा राशन बच्चो के लिए बनवाया जाये इस प्रकार गुड़पारा गांव की समस्या का समाधान हो गया।

ग. आय

1 आय – (नरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामिण रोज़गार योजना अधिनियम 2005 शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार योजना हैं। इस योजना से कई परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या बेरोज़गार हैं उनको सरकार द्वारा कम से कम 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है जैसे की सड़क बनना , सिचांई का काम कराना। यह योजना इस आशा के साथ प्रदान की जाती है ताकि ग्रामिण परिवार इस वेतन से और बेहतर सुविधाएँ देखकर अपने गावों में ही बसे रहें बजाय की शहर की ओर प्रस्थान करें।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
उत्तराखण्ड सरकार – ग्रामीण **विकास विभाग** (वेबसाइट के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार

(Best Source: Supreme court order **http://sccommissioners.org/FoodSchemes/MGNREGA.html** *)*

अधिक जानकारी के लिए यहाँ यहाँ और यहाँ क्लिक करें ।

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन रोजगार (18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यस्क)
- 15 दिनों के अन्दर कार्य मिल जाना चाहिए।
- कार्य उसी प्रखण्ड में मिलना चाहिए जहां आवेदक कार्य करता हो और अगर कार्य स्थान घर से 5 कीलोमीटर से अधिक है तो यात्रा भत्ता मिलेगा।
- पहले से तय की गई कम से कम मजदूरी देनी होगी लेकिन कम से कम 122 रूपए प्रति दिन। बैंक या डाक खाते में नकद केवल जहाँ बैंक या डाक घर नहीं हैं (यहाँ क्लिक करे)
- कार्य अवधि के 14 दिन के अन्दर मजदूरी मिल जानी चाहिए।
- 15 दिनों के अन्तर्गत अगर कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया हो तो रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। पहले 30 दिनों के लिए 33 प्रतिशत और उसके बाद के दिनों के लिए 50 प्रतिशत।
- कार्य स्थल पर साफ पानी, आपातकालीन स्वास्थ सेवा बच्चे की देख रेख की सुविधा और आराम के लिए शेड की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- रू 25,000 का हरज़ाना उनको दिया जाएगा जिनकी नरेगा के अंर्तगत काम करते हुए मृत्यु हो जाए या स्थाही विकलांगता का शिकार हो जाए।
- MNREG। के अंतर्गत श्रमिकों को रू
  - जनश्री बीमा योजना जो ग्रामीण लोगों के लिए बीमा और विकलांगता लाभ प्रदान करता है
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उन सभी श्रमिकों ६ लाभार्थियों के लिए जिन्होने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया है

3 आवेदन का तरीक़ा

नरेगा–(सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- अपने स्थानीय पंचायत में रोजगार कार्ड के लिए आवेदन दें। आवेदन पत्र पृष्ठ 54 देख
- अगर रोज़गार कार्ड हो ता काम के लिए आवेदन आप स्थानीय पंचायत जा सकतें है या आवेदन औन लाइन भरें यहाँ।
- 15 दिनों के अन्दर कार्य प्राप्त करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- **नरेगा शिकायत निपटारा केन्द्र** से सीधे सम्पर्क करें (यहाँ क्लिक करें।) फिर

5 सफलता की कहानी

रनगुवाँ गांव में रोज़गार कार्ड सचिव के पास रहता था जिसके कारण गांव के लोगों को रोज़गार का लाभ नहीं मिल पाता था और मज़दूरों के नाम की आमदनी सचिव और सरपंच अपने पास रख लेते थे । सरपंच ठाकुर होने के कारण लोग अपने अधिकार के बारे में बोल नहीं पाते थें। फिर जब दुबारा सरपंच का चुनाव हुआ तो सभी ने नामदेव नाम की महिला को सरपंच चुना। तब से सभी गांव के लोगों को रोज़गार का लाभ मिलने लगा है और वह सभी खुश है।

2 आय – (पेंशन और सामाजिक सुरक्षा)

पेंशन सरकार द्वारा नकद भुगतान है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जिनके पास बिना किसी गलती के नियमित आमदनी नहीं होती।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए http://rural.nic.in/ क्लिक करें)
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार

- **समाज कल्याण विभाग** (वेबसाइट के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: National Social Assistance Programme (NASP)* **http://nsap.nic.in/guidelines.html***)*

क. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** *सभी 40 से 59 वर्ष की विधवाओं के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे–रू0 200/प्रति माह, (रू. 200 केंद्र सरकार से और रू. 0 एम.प्र. सरकार से) (देखें केंद्र सरकार का साइट यहाँ न 12)

ग. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दा अवस्था पेंशन** * 60.79 वर्ष से अधिक आयु के सभी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए। (रू200/माह (500 अगर 80 से उपर) प्रत्येक माह के 7 तारीख तक भुगतान। देखें केंद्र सरकार का साइट यहाँ न 11 और सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा यहाँ देखें।)

घ. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** * में रू. 10,000 दिए जाते हैं अगर परिवार में दुर्घटना हो या मृत्यु होने से रू 5000 का मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। (रू. 10 हजार केंद्र सरकार से व रू. 0 म.प्र. सरकार से)। (देखे सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा यहाँ।)

ङ. **विकलांगता पेंशन: सभी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए** रू. 300(केंद्र) प्रति माह अगर आय कम से कम 500/प्रति माह है) (देखे केंद्र सरकार का वेबसाइट यहाँ न 15, सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा यहाँ और म.प्र. समाज कल्याण का यहाँ देखें। और विकलांगता सेक्शन पृष्ठ 19 देखे)

वह पेंशन जिसे निशान का हर साल का सीमित पैसा उपलब्ध है तो हो सकता है कि सब शर्त पूरा करने के बावजूद पेंशन इसी साल में नहीं मिलेगा ।

3 आवेदन का तरीका

- नीचे दिए गए दस्तावेज पंचायत में जमा करें।
- पंचायत जांच करेगी, उसके बाद दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग आवेदन को स्वीकार (संभावित) करेगा।
- पेंशन बैंक/डाक घर के खाते में जमा की जाएगी और फिर व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।

क. विधवा पेंशन (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 3 माह)

- फार्म (यहाँ से डाउनलोड करें) । (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; या पड़ोसी, एम.एल.ए, स्थानी दूकानदार की उनके कार्ड पर लगे फोटो पर गवाही;)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आर.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आइ.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटो;
- पति का मृत्यु–प्रमाण पत्र
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्रः नाम; पता; बी.पी.एल.; परिवार के सभी लोगों का विवरण; और किसी अन्य पेंशन का न प्राप्त करने, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह न होने और पुनर्विवाह की स्थिति में सरकार को सुचित करने की घोषणा।

ग. वृद्धावस्था पेंशन – (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 3 माह)

- फार्म (यहाँ से डाउनलोड करें) (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या 2 पड़ोसी की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आइ.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फोटा;
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्रः नाम; पता; बी.पी.एल और कोई अन्य पेंशन न प्राप्त किए जाने की स्वःघोषणा।

घ. आय अर्जित करने वाले की मृत्यु – (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 3 माह)

- फार्म (यहाँ से डाउनलोड करें)
- मृत्यु के समय जीवित व्यस्क 18–64 वर्ष
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या फाटो पर 2 पड़ोसी, एम.एल.ए., स्थानीय दुकानदार की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आई.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फ़ोटो;
- आय अर्जित करने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निम्नलिखित वर्णन वाला शपथ पत्रः नाम; पता; बी.पी.एल और कोई अन्य पेंशन न प्राप्त किए जाने की स्वःघोषणा।

ङ. विकलांगता पेशन (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 5 माह)

- फार्म (यहाँ से डाउनलोड करें) । (या पृष्ठ 55 पर देखें)
- आवास का 5 वर्ष का प्रमाण। (मतदाता पहचान कार्ड; राशन कार्ड या 2 पड़ोसी की गवाही)
- बैंक खाता का नम्बर (9 संख्या वाला एम.आ.सी.आर नम्बर और 7 संख्या का आइ.एफ.सी.एस नम्बर);
- 1 फ़ोटो
- विकलांगता प्रमाण पत्र >40% प्रतिशत एवं
- शपथ–पत्रः नाम, पता, कोई अन्य पेंशन न प्राप्त करने का।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत में जांच करें; फिर
- समाज कल्याण विभाग को आर.टी.आइ (सम्पर्क देखने हेतु वेबसाइट देखें (हिन्दी में) यहाँ क्लिक करे)।

5 सफलता की कहानी

गौरारी गांव के हंसी कुशवाहा जिनकी उम्र 70 वर्ष की है । उन्होंने पेशन पाने के लिए सरपंच व पटवारी से मिले परन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी टेली स्वास्थ्य कार्यकार्ता ज़हर सिंह यादव ने ली और नौगांव ब्लोक में जाकर फार्म भरवाया और उसे पटवारी पुरन लाल पोदर व सरपंच चंदा बाई अहिरवार से आगे बढ़वा कर सचिव सुनिल कुमार को दिया । उन्होंने इस फार्म को नौगांव ब्लोक में जाकर जमा करवाया और अब हंसी कुशवाहा को वृधा अवस्था पेंशन 150रू मिल रही है।

3 आय – (बच्ची के लिए 1 लाख)

हर साल हज़ारों लड़कियों को गर्भ से ही गिरा दिया जाता हैं। धनलक्ष्मी योजना के अंर्तगत सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए भुगतान प्रदान किया जाता हैं।ताकि भारतीय परिवार लड़कियों के जीवन व शिक्षा की महत्वता को समझें।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट हेतु *http://wcd.nic.in/* क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार – महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)। उसमें समेकित बाल विकास परियोजना (*ICDS*) पर क्लिक करें।

2 अधिकार *(Best Source:Women & Child Devel (**http://wcd.nic.in/publication/ar2009-10/english/WCD/chapter%204.pdf**)*

Nanda Devi Kanya (here)

Matrtiva Indira Gandhi Yojna (here)

- Rs4,000 for first and second child

Gaura Devi Kanya Dhan Yojana (here)

- 25,000 for BPL (or income certificate) girls passing inter

3 आवेदन का तरीका

- महिला एवं बाल विकास के स्थानीय कार्यालय को प्राप्त करें ।
- यह भरें और महिला एवं बाल विकास के स्थानीय कार्यालय को वापस दर्ज।
- बालिका 1 आयु होने से पहले लगू करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत में जांच करें; फिर
- महिला एवं बाल विकास विभाग को आर. टी. आई दें (यहाँ क्लिक करें)।

5 सफलता की कहानी

वर्गीस मैथ्यू प्रेरण परियोजना के स्टाफ थे उनकी लड़की मिशन अस्पताल में पैदा हुई थी । लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उन्हें नही मिल पा रहा था क्योकि उनके पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं था। बाद में आंगनवाड़ी के परियोजना अधिकारी से बात करने पर आदेश अनुसार लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उन्हें मिल सका क्योकि उन्होने उसके साथ और भी दस्तावेज़ संगलगन किये थे।

4 आय – रोज़गार के लिए प्रशिण

जन शिक्षा संस्थान के पास ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो सामान्य रूप से व्यवसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान वो भी बहुत कम दाम में देते हैं। इस प्रशिक्षण लेने के लिए पहले से शिक्षित होने की भी योग्यता अहम नहीं होती। यह संस्थान उन लोगों के लिए बनाई गयी है जो बस्ती या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- जन शिक्षा संस्थान (http://www.nlm.nic.in/jss.htm) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण,स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सूचना सेवा (http://dget.nic.in/schemes) और
- कौशल विकास पहल योजना, (http://dget.nic.in/mes) मांडयूलर रोजगार कौशल पर आधारितए श्रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालयए क्षम और रोजगार मंत्रालय।

2 अधिकार *(Best Source: Jan Sikshan Sansthan* **http://www.nlm.nic.in/jss.htm** *)*

a) जन शिक्षा संस्थान

- जन शिक्षा संस्थान में 371प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं, जैसे मोमबत्ती बनना, सिलाई से कमप्यूटर कोंस।
- जन शिक्षा संस्थान उन लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछरे है जैसे अनुसूचित जनजाति, अनपढ़, मज़दूर और उनके परिवार वगैरा ।
- जन शिक्षा संस्थान 371 अलग अलग कोंसं कराता है ।
- उत्तराखण्ड में 06 जन शिक्षा संस्थान केंद्र है। जगहों के लिए यहाँ क्लिक करें देखें)

b) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सूचना सेवा

- शिल्पकार प्रशिक्षण: सरकार के आई.टी. आई संस्थानों में मामूली शुल्क पर प्रशिक्षण कर सकता है। 127 ट्रेडों । अवधि :6-12 महीनें। शिक्षा: कक्षा 8वीं और उपर। http://dget.nic.in/schemes/cts/TradeList.htm
- महिलाओं के पाठयक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कि पोशाक बनाना, कंप्यूटर संचालन , बालों की देखभाल। न्यूनतम उम्र 14। अवधि 1 सप्ताह से 1 वष्र्ष तक।
  - केन्द्र सरकार के माध्यम से (11 संस्थान सहित नोएडा, इलाहाबाद) http://dget.nic.in/schemes/oldwot/Centralsector.htm
  - उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से (आई.टी. आई के माध्यम से) http://dget.nic.in/schemes/oldwot/StateSector.htm.

c) मांडयूलर रोजगार कौशल

मांडयूलर रोजगार कौशल पर आधारित लघु अवधि प्रशिक्षण पाठयक्रम, यह लाभकारी रोजगार के लिए न्यूनतम कोशल हैं। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष हैं। योग्यता 5 वीं कक्षा हैं। 1406 कौशल हैं।

http://dget.nic.in/mes/Downloads/SDIManual1Oct.pdf
http://dget.nic.in/mes/annex4.pdf (skills list July 2012)

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 50 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

a) जन शिक्षा संस्थान

- दाखिला कराने का समय अप्रैल और अक्टूबर महीने में होता है । सारे कोर्से 6 महीने के होते हैं ।
- सेंटर जाके भी दाखिला हो सकता है (सेंटर के पता के लिए यहाँ क्लिक करें)
- दाखिले के लिए कुछ दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है । राशन कार्ड , 2 पहचान पत्र, 4/5 पासपार्ट साइज़ फोटो ।
- फीस मात्र : 100 रूपए ।

b) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सूचना सेवा

- स्रकार मुदों एडमिशन नोटिस। शुल्क रु 50- 150। उदाहरण: http://dget.nic.in/admission/NVTI-Short-Term-Adm.pdf
- **राज्य की सूची और जानकारी** http://dget.nic.in/lisdapp/General/List/LstState.asp?ListType=10

c) मांडयूलर रोजगार कौशल

- राज्य सरकार के मुछदों प्रशिक्षण और जानकारी के बारे में अखबारों में प्रवेश के लिए नोटिस ।
- प्रशिक्षण शुल्क रेंज (रु 500-200) और सफलतापूर्वक पूरा होने पर वापस करेंगे और वंचित समूहों के लिए 25% छूट ।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता न मिले)

- सीधे संस्थान के मुख्या अधिकारी से मिले । ।
- सम्बंधित JSS को आर.टी.आइ डालिए (संपर्क के लिए यहाँ क्लिक करे) ।

5 आय – ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस मुहर का वैधीकरण में परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए, प्रत्येक धारक करने को एक वाहन अभियान के एक विशेष श्रेणी दी गई।

1 सम्बंधित विभाग

- **उत्तराखण्ड सरकार: राज्य परिवहन विभाग** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार

(Best Source: **http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php?Pno=drivinglicence.php**

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।

- लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
- अन्य ड्राइविंग लाइसेंस जेसै नवीकरण , डुप्लीकेट आदि।
- कोई भी व्यक्ति की उम्र 18 साल, जो वाहनों चला सकते हैं, वो लाइसेंस के लिए पात्र हैं।
- 16 साल के उम्र से दो पहिया वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकतें हैं / वाहन 50cc तक और गियर के बिना (आवेदक के आवेदक माता पिता या अभिभावक अपनी सहमति देते हैं)
- कमर्शियल वाहन लाइसेंस के लिए 20 साल होना जरूरी हैं ।

3 आवेदन का तरीका

- उम्र पात्रता- 18 वर्ष पर दो अपवादो के साथ:
  - ✓ 16 वर्ष के लिए दो पहिया वाहन/वाहन 50cc तक और बिना गियर के।
  - ✓ 20 वर्ष-वाणिज्यिक वाहन
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए और प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करे।
- या अपने निकटतम स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर जाएँ।
- पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और प्रासंगिक दस्तावेजों जिनमें उम्र और पते पुष्टि में दी गइ हो।इनको भरे हुए आवेदन फोर्म के साथ संलग्न करें।जानकारी के लिए यहाँक्लिक करे।
- लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म 2 में आवेदक के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण में जमा कारे, फॉर्म 1 में मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ, आयु प्रमाण, पते का सबूत, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ।
- रेगूलर और पर्मानेन्त ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए - देहरादून, हरिद्वार, बद्रीनाथ के लाइसेंसिग औथोरिती में - आवेदन फॉर्म 4, लर्निंग लाइसेंस , ड्राइविंग प्रमाणपत्र जो द्रेनिंग स्कूल द्वारा अनुमोदित हो यह परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए अनिवार्य है, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ।
- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए लाइसेंस धारक आपना पर्मानेन्त ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आवेदन जमा करना होगा, फॉर्म 1 ˙A में चिकित्सा प्रमाणपत्र, आवेदन फॉर्म 4, निर्दिष्ट फिस और 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ।
- अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें और फॉर्म डाउलोड करने के लिए यहा क्लिक करें ।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

असफल अनुप्रयोगों और अन्य शिकायतों के लिए

- स्थानीय अधिकारियों सें संपर्क करें (अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
- परिवहन विभाग के लोग सूचना अधिकारी को आर.टी.आई करें (अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)

5 सफलता की कहानी

घ. स्वास्थ्य

1 स्वास्थ्य – (सरकारी अस्पताल)

*सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज, दवाईयाँ और डाक्टरी सलाह उपलब्ध होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश,सामाजिक अस्पताल व्यवस्था को कम सहायता मिलने के कारण अस्पतालों, डाक्टरों और दवाईयों की कमी है। जिसके वजह से अस्पताल में बहुत भीड़ होती है। तभी मध्य वर्ग के लोग निजी अस्पताल में जातें हैं। हाल में, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए **RSBY** योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की योजना बनाई गई है।*

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाः गरीबों हेतु स्वास्थ्य बीमा (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए यहाँ क्लिक।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाः गरीबों हेतु स्वास्थ्य बीमा (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें,)।
- यू स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ट: यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस योजना प्रदान करते हैं (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक)।

2 अधिकार *(Best Source: World Health Organisation,* **http://www.jsk.gov.in/district_health.asp***)*

क) सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सभी उत्तराखण्ड निवासियों के लिय एक उच्च गुणवत्ता की सस्ती उपचार:

- **जिला अस्पताल** (प्रति जिला–1, आबादी 20 लाख, बहुउद्देश्य डाक्टर एवं जांच) जिला अस्पताल की सूची हेतु यहाँ क्लिक करें; **सरकारी** अस्पताल हेतु यहाँ क्लिक करें।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र** (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति सब–जिला–1;आबादी 1 लाख, 4 डाक्टरों का स्टॉफ)
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति प्रखण्ड–1; आबादी 30000, 1 डाक्टर का स्टॉफ)
- **सब–सेंटर केंद्र (1 प्रति 5000, 1 *ANM* का स्टॉफ)**

उत्तराखण्ड में सभी पी.एच.सी / सब–सेंटर केंद्र के लिए यहाँ क्लिक करें।

मेरा नजदीकी जिला अस्पताल .....है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.....है पृष्ठ 3 के टेबल पर इसे डालें।

म.प्र. के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु यहाँ क्लिक करें और प्राथमिक/सब–सेंटर के मानचित्र और दूरी जानने हेतु यहाँ क्लिक करें।

ख) स्मार्ट कार्ड रखने वाले लोगों का इलाज रू. 30,000 तक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत) केंद्र सरकार का वेबसाइट देखें यहाँ)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 2 से 5 दिन)

क) स्थाई निवासी के लिएः किसी भी सरकारी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और लाईन में प्रतीक्षा करें।

मेरा नजदीकी जिला अस्पताल .....है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.....है पृष्ठ 3 के टेबल पर इसे डालें।

ख) स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) रखने वालेः समस्त प्रकिया के लिए यहाँ क्लिक करें।

- तैयारशुदा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बीमाकर्ता को दी जाती है।बीमाकर्ता सूची को भेजता है और दाखिले की तिथि की सूचना देता है।
- उन तारीखों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार फोटो और अंगुलियों के निशान देने के लिए आते हैं और कार्ड (परिवार के पांच सदस्यों के लिए) 15 मिनट के अन्दर जारी कर दिया जाता है। लागत रू.30/–है। प्रति वर्ष 30,000 तक इलाज करा सकते हैं।
- कार्ड रखने वालों को अस्पतालों की एक सूची दी जाती है जहां वे जा सकते हैं। अस्पतालों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।
- जब मरीज, कार्ड रखने वाला सूची में दिए गए अस्पताल में जाता है तो वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सहायता–डेस्क पर जाता है जहां उसे कार्ड की जांच की जाती है। अगर उसे दाखिल करने की आवश्यकता है, तो रू.30,000में से तयशुदा शुल्क काट ली जाती है और रू.100 यात्रा शुल्क के तौर पर अदा किया जाता है।
- प्रक्रियां जो अन्तर्गत आता हैं और नहीं आता हैं, उस के लिए यहाँ देखें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) अस्पताल के **मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट** के पास लिखित शिकायत करें। फिर
ख) जिला, जिसमें वह अस्पताल है, उसके मुख्य जिला मेडिकल अफसर
ग) अपनें राज्य में राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक (यहाँ सूची देखें) को शिकायत है; तो
घ) उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आर. टी. आई दें फिर (पी.आई.औ के लिय यहाँ क्लिक करें)
ङ) उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें) को आर. टी. आई दें फिर
च) यहाँ स्मार्ट कार्ड राज्य नोडल अधिकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 स्वास्थ्य – (टीकाकरण)

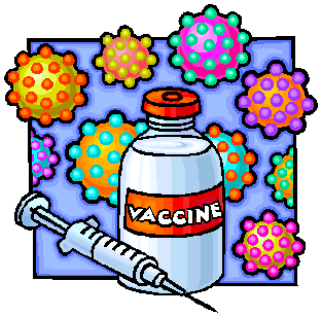

बच्चे

आज भी भारत में शिशु मृत्युदर ज्यादा पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है टीकाकरण राशि की कमी होना। जिसकी वजह से हर साल लाखों उन बिमारियों से मरते हैं जिनको असानी से रोका जा सकता है। निम्नखित योजनाओं का उदेशय है जिसे टीकाकरण राशि बढ़ सके।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दस्तावेज (पृ.6) यहाँ क्लिक करें।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार *(Best Source: Jansankhya Sthirata Kosh* **http://www.jsk.gov.in/district_health.asp** *)*

सार्वभौमिक टीकाकरण देने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार का उद्देश्य निम्नलिखित है (केंद्र सरकार का कार्यक्रम यहाँ)

आयु	टीकाकरण
जन्म के 48 घंटे के बीच	ओ.पी.वी (पोलियो)ए हेपिटाइटस बी
0–1 माह	बी.सी.जी (टी.बी)
1.5 माह	डी.पी.टी. प्रथम, ओ.पी.वी (द्वितीय)ए हेपिटाइटस बी
2.5 माह	डी.पी.टी. द्वितीय, ओ.पी.वी (तीसरा)ए हेपिटाइटस बी
3.5 माह	डी.पी.टी. तीसरा, ओ.पी.वी (चौथा)ए हेपिटाइटस बी
6–9 माह	ओ.पी.वी (पोलियो पांचवां)
9 माह	खसरा, विटामीन ए
15–18 माह	एम.एम.आर., डी.पी.टी.
16–24 माह	डी.पी.टी.(पहला बूस्टर) ओ.पी.वीपोलियो (पहला बूस्टर)
2–5 साल	टाइफाइड
5 साल	डी.पी.टी. (बूस्टर), ओ.पी.वी पोलियो (दूसरा बूस्टर)

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 7 दिन)

क) टीकाकरण की प्रक्रिया :

- आशा गांव के लोगों को प्रोत्साहित करती है बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए।
- हर गांव में *ANM* बच्चों को टीका हर महीनो टीकाकरण दिवस पर लगाती है।

ख)अगर आशा व्यवस्था चालू न हो तो अपने बच्चे को लेकर जाएं:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद के उप केंद्र सूची के लिए यहाँ क्लिक करें
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूची के लिए यहाँ क्लिक करें

नोटः (म.प्र. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु *http://www.jsk.gov.in/mp/mp.pdf* **क्लिक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गांवों की दूरी/मानचित्र हेतु** यहाँ **क्लिक करें)**

मेरा निकटतम सामु0 स्वास्थ्य केंद्र है.....और प्रा0 स्वास्थ्य केंद्र है.....एवं उप केंद्र है.....पृ. 3 के टेबल पर लिखें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) मेडिकल अफसर/उप केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इनचार्ज को लिखित शिकायत दें; या
ख) उक्त जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से जिसमें वह सुविधा है, शिकायत करें (सूची यहाँ देखें)

3 स्वास्थ्य – (गर्भधारण–जे.एस.वाई/आशा)

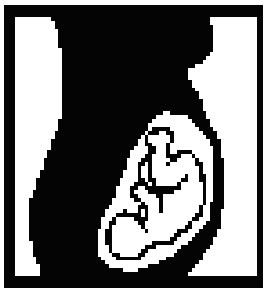

भारत में आज भी मातृ मृत्युदर ज्यादा है। निम्नलिखित सरकारी योजनाएँ और आशा इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि महिलाएँ अपनी गर्भावस्था में नियमित रूप से जाँच कराएँ और प्रसव के समय अस्पताल जाने के लिए उत्सुक रहें।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार *(Best source: Janani Suraksa Yojana* **http://jknrhm.com/PDF/JSR.pdf***)*

क) उत्तराखण्ड में प्रत्येक महिला के लिए प्रसव के दौरान सेवा करना निःशुल्क है :–

- टीकाकरण और ऑयरन और फोलिक एसिड की गोली का वितरण
- सुरक्षित प्रसव अस्पताल में
- प्रसव के बाद जच्चा–बच्चा की देख–रेख

यह कार्य की ज़िम्मेदारी आशा के कार्यकर्ता को दी गई है। आशा के कार्य के बारे में देखने के लिए यहँ क्लिक करें और पृष्ठ 6 देखें।

क) जननी-शिशु सूरक्षा कार्यक्रम: उत्तराखण्ड में हर गर्भवती महिला के लिय जननी.शिशु सूरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क लाभार्थी निम्मलिखित शामिल हैं ;यहाँ उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की वेबसाइट के अनुसार हैं द्धरू

- निःशुल्क और कैशलेस डिलीवरीए निःशुल्क सिजेरियन डिलीवरीए 30 दिन तक नवजात का निःशुल्क उपचारए प्रयोक्ता शुल्क से छूटए निःशुल्क दवाएं और उपभोज्यए निःशुल्क निदानए स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवास के दौरान निःशुल्क आहार दृ नार्मल डिलीवरी के मामले में 3 दिन और सिजेरियन डिलीवरी के मामले में 7 दिनए रक्त का निःशुल्क प्रावधानए घर से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निःशुल्क परिवहनए रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच निःशुल्क परिवहन और 48 घंटे प्रवास के बाद संस्थानों से घर वापस द्रोप।
- 30 दिनों के जन्म के बाद तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क लाभार्थीए निःशुल्क उपचारए निःशुल्क दवाएं और उपभोज्यए निःशुल्क निदानए रक्त का निःशुल्क प्रावधानए प्रयोक्ता शुल्क से छूटए घर से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निःशुल्क परिवहनए रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच निःशुल्क परिवहन और 48 घंटे प्रवास के बाद संस्थानों से घर वापस द्रोप।

ख) जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई) के अन्तर्गत (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

अस्पताल में प्रसूति होने पर माता को रू 1400 (रू1,000 अगर शहर में है) का और आशा के कार्यकर्ता को रू600 (रू200 अगर शहर में है) भुगतान दिया जाएगा। LPS प्रदेशों उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छततीसगढ़, बिहार, हरिाणा, उत्तरखाण्ड, राजस्थान, ओड़ीसा यहाँ, आसाम, कशमीर में यह सब महिलाओ के लिए या गरीबी रेखा से नीचे हो या नहीं ।

जे.एस.वाई और आशा **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के अन्तर्गत आते हैं। (वेबसाइट के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें)।

ग) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत (राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

- गरीबी रेखा से नीचे की समस्त गर्भवती महिला को रू. 500/ का भुगतान 19 साल से ऊपर और दो जीवित जन्मों के लिए।
- *प्रसूति चाहे किसी भी स्थान* पर हुई हो
- *प्रसूति* के 8 से 12 सप्ताह पहले भुगतान

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 14 दिन)

क) गर्भावस्था के दौरान आशा द्वारा देखभाल

अगर आशा कार्य नहीं करती तो, अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन दें। सूची के लिए यहाँ क्लिक करें

नोटः(म.प्र. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु *http://www.jsk.gov.in/mp/mp.pdf* क्लिक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गांवों की दूरी/मानचित्र हेतु यहाँ क्लिक करें) मेरा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है.....पृ.3 के टेबल पर देखें।

ख) जननी सुरक्षा योजना के अंर्तगत अस्पताल में प्रसव के लिए भुगतान देना

- सधारण रूप से आशा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
- छुट्टी होने के समय भुगतान ले लें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क)**जननी सुरक्षा योजना** अगर भुगतान में कोई परेशानी आती है तोः

चिकित्सा अधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्त केंद्र के इंचार्ज को लिखित शिकायत दें; फिर

जिस जिले में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत करें (सूची यहाँ देखें);फिर

4 स्वास्थ्य – (विकलांगता सेवाएं)

विकलांग लोगों को अभी भी हमारे देश में दुसरी श्रेणी के नागरिक माना जाता है।
निम्नलिखित योजनाएँ विकलांगता के बोझ को कम करने के लिए बनाई गयी है।
ई.एच.ए अब विलांग लोगों के लिए योजनाओं पर एक मैनुअल का उत्पादन किया गया । 'एडवोकेसी मैनुअलस ' देखने के लिए ई.एच.ए वेबसाइट www.eha-health.org में क्लिक करें ।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- सामाजिक न्याय विभाग (वेबसाइट हेतु क्लिक करें)।

2 अधिकार *(Best Source: Social Justice & Empowerment* **http://socialjustice.nic.in/schemespro3.php***.)*

क. विकलांगता प्रमाण पत्र

- 40 प्रतिशत से अधि अपंगता, सरकारी डाक्टर के प्रमाणित से।
- अन्य सेवाएं पाने के लिए यह प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

ख. विकलांगता पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की अधिक जानकारी हेतु यहाँ न 13 या यहाँ क्लिक करे:

- 18–59 वर्ष आयु
- गरीबी रेखा से नीचे या जिनकी आय रू 1,000 से कम है।
- विकराल या बहुप्रकारीय विकलांगता (विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है अगर 40% से ज्यादा विकलांगता हो)
- रूपए 125/प्रति माह (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) से मिलता है। वेबसाइट के लिये यहाँ और यहाँ क्लिक करें)
- डाक घर या पब्लिक सेक्टर बैंक में खाते के द्वारा भुगतान किया जाता है।

ग. बसों और रेल गाड़ियों में छूट क्लिक करें यहाँ

- सरकारी बसों में 80 प्रतिशत छूट और सहायक के लिए भी
- रेल गाडियों में छूट जो :

हड्डी रोग से ग्रस्त इनसान को : 75 की छूट (50% AC बोगी और 25% राजघानी रेल गाडी में कोई छूट नहीं है)
मानसिक विकलांगता में : 50 की छूट और सहायक के लिए भी
गूँगे और बेहरे : 50 से विकलांगता

घ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की और बहुत सारी योजनाए (यहाँ और यहाँ देखें)।

3 आवेदन का तरीका

क. विकलांगता प्रमाण पत्र (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 12 माह)

- आवेदन फार्म यहाँ है या पृष्ठ 58 पर देखें।
- जिला अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र; और(फार्म 10 से 1 बजे तक लेते है और 2 बजे के बाद मामलों पर विचार विर्मश किया जाता है)
- फॉर्म, 2 फोटो (1 प्रमाणित), राशन कार्ड या पहचान पत्र

ख. विकलांगता पेंशन (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। विकलांगता प्रमाण पत्र के बाद समय सीमा 6 माह)

- ग्राम पंचायत में आवेदन करें जिस से विकलांग योग्य व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। ज़रूरी दस्तावेज़ **विकलांगता पेशन को पृ 12देखें।**

ग. रेल गाड़ियों में छूट

- रेलव स्टेशन पर आवेदन करना (यहाँ देखें या पृ 60 में फार्म की कॉपी लें)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

i. विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए) अपने जिले के सीएमओ को अपील/ आर. टी. आई दें।
ii. विकलांगता आयुक्त से शिकायत करें, हर राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिय सूची यहाँ
iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपील/ आर. टी. आई दें। (संपर्कों के लिय क्लिक करें)

5 स्वास्थ्य – (नशा पुनर्वास)

निराशा या बिना उम्मीद से घिरे गरीब लोग कई बार नशे और दारू में पड़ जाते हैं। नशे से ना ही नशेड़ियों पर उनके परिवारों और पड़ोसियों का भी जीवन कठिन बन जाता है। सरकार ने निशुल्क पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास कर रही है जिससे नशेड़ी अपनी आदतें (शराब/नशा) छोड़ सकें।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार *(Best Source: UN Office on Drugs & Crime **here**.)*

- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क नशा मुक्ति उपचार। (अस्पताल की सूची यहाँ क्लिक करें)।
- सरकारी सहायता से बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रही हैं। (यहाँ क्लिक करें)।
- 24 घंटे स्वास्थ्य हेल्पलाइन 1800 266 2345 बिना किसी खर्च के।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 10 प्रतिशत। समय सीमा 1 वर्ष)

- सफलता के लिए प्रतिष्ठा रखने वाले अस्पताल में आ.पी.डी के दिनों में जाएं। उत्तर प्रदेश में पुरूषों के लिए जिला अस्पतालों की सूची के लिए क्लिक करें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) अस्पताल के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट के पास लिखित शिकायत करें। फिर

ख) जिलस, जिसमें वह अस्पताल है, उसके मुख्य जिला मेडिकल अफसर (सूची के लिए यहाँ क्लिक करें); फिर

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

6 स्वास्थ्य –एच आई वी – एडज़

एच आई वी के साथ जीने वाले व्यक्ति हमारे समाज के किनारे पर होते हैं। सरकार अब एक प्रनाली स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं जो एच आई वी घनात्मक लोगों की सुरक्षा व देख रेख करें।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नेशनल एड्स कंट्रोल संस्था (NACO)
  वेबसाइट http:// www.nacoonline.org/

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड राज्य एड्ज़ कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट एड्ज़ प्रेवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: National Aids Control Organisation **http://www.nacoonline.org/**.)*

a) **एच आई वी जॉच :** गोपनीय, मुफ्त जॉच इन्टेग्रेटेड कॉन्सेलिंग, एवं टेस्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता हैं (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें) । उपचार के लिए नामांकित ।त्ज केन्द्रों में जांच के लिए एड्स रोगियों को रेल यात्रा में 2 बर्से में 50:और डैज और फैज में 50: की रियायत प्राप्त होगी
   - एक सहायक को भी उतनी ही रियायत मिलेगी

b) **इलाज:** वो व्यक्ति जिनको जॉच के द्वारा एच आई वी साबित होता हैं वो ART सेंटर से मुफ्त इलाज पा सक्ते हैं। ART कें सूची के लिये यहाँ क्लिक करें

बद्ध **देखबाल व सहारा** : ये कम्यूनिती केयर सेंटर में उन व्यकित को दिया जाता है जो एच आई वी एडज़ ग्रस्त हैं । (वेबसाइट और कम्यूनिती केयर सेंटर सूची **के लिये** यहाँ **क्लिक करें**)

d) **अधिार का बचाव** : सहमति पत्र, गोपनीयता, भेद भाव न करना । वेब यहां

- वयस्क और बच्चों को सरकारी संस्था में बिना भेद भाव के चिकित्सा और शिक्षा प्राप्त कर सकें ।
- किसी सरकारी संस्थान के मालिक किसी कर्मचारी को केवल उसके एच आई वी घनात्मक होने के कारण उसे नौकरी से बेदखल नहीं कर सकता और न ही उसके नौकरी को नकार सकता हैं, और उसकी एच आई वी घनात्मक अवस्था के कारण किसी प्रकार का भेद भाव उसके मौलिक अधिकार का हनन है

3 आवेदन का तरीक़ा

जॉच, इलाज, देखभाल और सहयोग सेवा यहॉ से प्राप्त कर सकते हैं :

- ICTC केंद्र (स्थान के लिये यहाँ क्लिक करें)
- ART केंद्र (स्थान के लिये यहाँ क्लिक करें)
- सामुदायिक सेवा केंद्र (स्थान के लिये यहाँ क्लिक करें)

ART केंद्र में नामांकन से पहले ज़रूरी कागजात :

- ICTC से प्राप्त एच आई वी घनात्मक जॉच परिणाम
- फोतो
- पहचान पत्र

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) संपर्क करें Delhi Network of Positive People (DNP Plus). पताः घर 64, गली 3, IGNOU के पास, नेब सराई, दिल्ली 110068 Tel: 011-29535239 / 32935239

ख) संपर्क करें **सामूहिक विधिवक्ता एच आई वी/एड्ज़ इकाई वेबसाइट**: www.lawyerscollective.org

टेलीफ़ोन: 011- 46805555

ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं वेब साईट यहा

घ) **कानूनी** कार्यवाई हो सकती है अगर कोई बिना सहमति पत्र के भ्ट के लिए जाँचा गया हो ए या गोपनीयता भंग की गई हो या किसी भी अधिकार का हनन हुआ हो

ड. विद्यालय

1 शिक्षा – सरकारी स्कूल

भारत में सबसे बड़ा मतभेद शिक्षा व्यवस्था के द्वारा पाया जाता है। गरीब लोगों के पास सरकारी स्कूलों का सहारा होता है, जो हिन्दी माध्यम के होते हैं। उन में सुविधाएँ कम होने के साथ–साथ अति–संकुलित होते हैं। जबकि,मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल भेजने में सक्षम होते हैं। जिनमें कक्षा के छात्रों की संख्या कम और पढ़ाई भी अच्छी होती है। जिनमें से कई आगे चलकर कॉलेज जाते हैं । वही दुसरी तरफ कुछ ही सरकारी स्कूल के बच्चे दाखिला ले पाते हैं। निम्नलिखित योजनाएँ इस उद्देश्य से बनाए गए है की गरीबों की साक्षरता में गुणवता बढ़े।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)।
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- **उच्च शिक्षा निदेशालय** (वेबसाइट के लिय यहाँ या यहाँ क्लिक करें)।

2 अधिकार (Best Source: Sarv Shiksha Abhiyan **http://ssa.nic.in/**)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंर्तगत

- **निःशुल्क (आठवी तक) शिक्षा** स्थानीय विद्यालय में सभी बच्चों के लिए। इसमें विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इसमें मुफ्त न्दपवितउ और पुस्तकें और विकलांग बच्चों को मुफ्त सीखने और सहायक उपकरण शामिल हैं (देखें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सभी बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 का सेक्शन 3, यहाँ क्लिक करें और UP rule यहाँद्ध।
- अगर बच्चा उस स्थान से जा रहा है तो **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र** एवं बिना विलम्ब के पुनर्पवेश का अधिकार। (अधिनियम का सेक्शन 4
- कोई स्कूल कैपिटेशन फीस चार्ज ना करेगा या बच्चों के माता पिता से किसी भी प्रकार की विषय जांच जैसे प्रवेश परीक्षा ना मांगेगे
- अगर बच्चा उस स्थान से जा रहा है तो **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र** एवं बिना विलम्ब के पुनर्पवेश का अधिकार। (अधिनियम का सेक्शन 4
- हर प्रइवेट स्कूल ''वंचित समूहों'' (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के बच्चों के लिय कक्षा 1 में अपनी सीटों में से 25% रिज़र्व करना होगा, लागत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। (सेकशन 12 (1) (b))
- सभी स्कूलों में अप्रैल 2013 से न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना हीगा (मज़बूत इमारत, प्रत्येक शिक्षा के लिय अलग कक्षकओं, खेल का मैदान, पुस्तकालय, अलग लड़कों और लड़कियों के लिय शौचालय, पीने का पानी, उपयोग रैंप, शिक्षण-अधिगम उपकरण, हर स्कूल में खेल के सामग्री और उपकरणों होना । (अधिनियम की अनुसूची देखें)
- कोई भी बच्चा कक्षाओं को दोहराने नहीं देंगे और निष्कासित नहीं कर दियेंगें या काक्षा 8वीं के पूरा होने तक एक बोर्ड परीक्षा पास करने के आवश्यक ।
- कक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात प्राथमिक में 1:30 (काक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक में 1:35 (काक्षा 6-8) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी शिक्षकों को नियमित रूप से और ठीक समय स्कूल में भाग लेने चाहिए। कोई भी शिक्षकों को प्राइवेट टयूशन पढ़ाने के लिय चार्ज नहीं लेंगें।

कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यालय वंचित समूहों की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर तक भोजन की सुविधा के साथ आवसीय विद्यालय। (वेबसाइट देखें यहाँ)

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 1सप्ताह)

- 31 अगस्त तक निकट के किसी विद्यालय में बच्चे को लेकर प्रवेश के लिए जाऐं।
- आपके पास केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या अगर जन्म प्रमाण नही है तो निम्नलिखत विवरण वाला शपथ–पत्र बनवाएं: बच्चे का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि और उस वर्ष का उल्लेख जिसमें प्रवेश चाहते हैं। अगर प्रवेश का ग्रेड परीक्षा पर निर्भर करता है (नीचे देखें) तो वह विवरण खाली छोड़ दें और उसे बाद में भर दें।RTE का मतलब किसी भी बच्चे को किसी भी कारण (जन्म प्रमाण या दूसरे कागज़ात न हो) से स्कूल दाखिला मना नहीं हो सकता ।
- अगर बच्चा 7 वर्ष से अधिक का है तो उसे उसकी आयु के हिसाब से उपयुक्त ग्रेड में रखना चाहिए और उसे अन्य बच्चों की स्तर तक लाने के लिए विशेष कक्षा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। (देखें अधिनियम का सेक्शन 4)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) आरम्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें; फिर

ख) उच्च शिक्षा निदेशालय (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें) को आर. टी. आई दें।

ग) आरटीआई मानव संसाधन विकास मंत्रालयए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री ए.के तिवारी ,उत्तर प्रदेशके लिए) जन सूचना अधिकारी फोन 011.23384582 ईमेल: ssaee17@gmail.com

घ) **शिक्षा का अधिकार टास्क फोर्स** एडवोकेट (वकील) अशोक अग्रवाल 9811101923

2 शिक्षा – छात्रवृत्ति और लाभ

स्कूल में गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई छात्रवृत्ति और लाभ शुरू कर दी है।

1 सम्बंधित विभाग

उत्तराखण्ड सरकार:

- **शिक्षा विभाग** (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)
- सर्व **शिक्षा अभियान** (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार (Best source: http://schooleducation.uk.gov.in/pages/display/55-about-us

- मध्यान्तर भोजन प्राधिकरण (वेबसाइट के लिये यहाँ क्लिक करें)।
- SSA के तहत सर्व शिक्षा अभियान के सभी लड़कियों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है.
- **राजीव गांधी नवोदय विद्वयालय: उत्तराखण्ड सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विदयालय और आवासीय विद्वयालय के माध्यम से ग्रामीन गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिय फ्री और गुणवत्तापूण्ड्ड शिक्षा शुरू किया। सात राजीव गांधी नवोदय विद्वयालय - देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहारी में शुरू कर दिया है । (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)**
- **अनुसूचित जाती ,अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग के लिय प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवत्ति योजनाओ (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)**

3 प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया (सफलता की संभावना 80% समय सीमा 1 सप्ताह)

- Pre and Post Matric Scholarship schemes for SC, OBC and students with disabilities (click here)

4 दबाव – (यदि आवेदन सफल नहीं है)

- क) शुरू में स्कूल के प्रधानाचार्य दृष्टिकोण तब
- ख) **उत्तराखण्ड** शिक्षा परियोजना परिषद **को** आरटीआई **दें** ;पीआईओ के लिए यहाँ देखें।
- ग) सामाजिक न्याय मंत्रालय आरटीआई **दें**

  संदीप कुमार गुप्ता, **पीआईओ** उप सचिव, **फोन - 011.23389474**
  अनुसूचित जाति और अन्य व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रभारी
  ई. वी. थॉमस, पीआईओ **फोन -** 011-23753406
  अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रभार
- घ) **शिक्षा का अधिकार टास्क फोर्स** एडवोकेट (वकील) अशोक अग्रवाल 9811101923

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

3 शिक्षा –राष्ट्रीय मुक्त विधलयी शिक्षा संस्थान

कइ लोग पढ़ाई करने चाहते हैं लेकिन कई कारणों से औपचारिक स्कूल नहीं जा सकते हैं : शायद उन्होंने कम उम्र में छोड़ दिया लेकिन अब वे एक युवा वयस्क के रूप में फिर से अध्ययन करना चाहते हैं। हो सकता हैं वो नौकरी कर रहे हों या एक परिवार की देखबाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों स्कूल नहीं जा पाते । ऐसे लाखों लोगों को उनके घर से अध्ययन करने की अनुमति देकर इंडियन ओपन स्कूल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस लिए यह वर्तमान में डेढ़ लाख छात्रों का नामांकन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में है , जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाता है ।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय मुक्त विधलयी शिक्षा संस्थान (**http://www.nos.org/**)

2 अधिकार *(Best Source: NIOS **http://nos.org/about-us/profile.aspx**)*

- ओपन बेसिक शिक्षा (ओबीई) : मुफ्त : ओपचारिक स्कूल प्रणाली की कक्षाओं तीसरी, पॉचवीं ओर आठवीं के सामान कार्यक्रम
- माध्यमिक शिक्षा कोर्स (कक्षा 10)
- वरिष्ट माध्यमिक शिक्षा कोर्स (कक्षा 12)

3 प्रवेश के लिए आवेदन (सफलता की संभावना 90% समय सीमा 4 सप्ताह) प्रक्रिया

कक्षा 3, 5, 7 या 8 के लिए:

- वेबसाइट यहाँ से आप निकटम केन्द्र का पता लगाएं
- केन्द्र पर जाएँ और आवेदन प्रक्रिया के लिए

माध्यमिक (कक्षा 10) के लिए और वरिष्ट माध्यमिक (कक्षा 12) सभी आवेदन अब ऑन लाइन पर भर रहे हैं :

- यहाँ वेबसाइट पर जाएँ और ऑन लाइन खुद ही आवेदन को पूरा भरें ।
- स्थानीय मान्यता प्राप्त संस्थान जो ऑन लाइन आवेदन करने में आप की मदद करेंगे । AI सूची के लिये यहाँ क्लिक करें
- क्षेत्रीय केंद्राओं की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें जो ऑन लाइन आवेदन करने में आप की मदद करेंगे क्षेत्रीय केंद्राओं पर जाएँ

शुल्क :-

कक्षा	ओरत	पुरुष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग
माध्यमिक (कक्षा 10)	750	1,000	550
वरिष्ट माध्यमिक (कक्षा 12)	900	1,150	625

4 दबाव (यदि आवेदन सफल नहीं होता है)

a) तीसरे, पॉचवें और सातवें आवेदन के लिए प्रवेश मार्ग केंद्र हैं जहॉ आपने आवेदन जमा किया ।
b) 10वें और 12वें के अपने आवेदन की स्थिति की जॉच के लिये यहाँ क्लिक करें
c) फोन करें टोल फ्री नंबर 1800 1809393 पर
d) शिकायत क्षेत्रीय केंद्र को करें। क्षेत्रीय केंद्रों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें ।
e) शिकायत करें दिल्ली में एनआईओएस प्रधान कार्यालय में । समपर्क करने का विवरण यहाँ क्लिक करें आरटीआई प्रधान कार्यालय में ।

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

च. उपयोगिताएं

1 उपयोगिताएं – (बिजली)

क्ई राज्यों में बिजली कर सप्लाई सेमी–प्राइवटाइज़ पायी जाती है। फिर भी सरकार, निम्नलिखित योजनाओं से प्रयास कर रही हैं की हर गाँव को बिजली मिले। क्ई राज्यों में बिजली कर सप्लाई सेमी–प्राइवटाइज़ पायी जाती है। फिर भी सरकार, निम्नलिखित योजनाओं से प्रयास कर रही हैं की हर गाँव को बिजली मिले।

1 सम्बंधित विभाग

भारत के अधिकांश राज्यों में बिजली वितरण का अर्ध–निजिकरण हो गया है।

केन्द्र सरकार:

- **ऊर्जा मंत्रालय** (वेबसाइट के लिए क्लिक करें यहाँ)
- **ग्रामीण विद्यूतीकरण निगम** (वेबसाइट के लिए क्लिक करें यहाँ)
- **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (RGGVY)** (वेबसाइट के लिए क्लिक करें यहाँ)

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेट लिमिटेड (वेबसाइट लिए क्लिक करें यहाँ)

2 अधिकार *(Best Source: Rajiv Gandhi Grameen Vidyut Yojana http://powermin.nic.in/bharatnirman/bharatnirman.asp)*

केन्द्र सरकार

- **भारत निर्माण** (पृष्ठ 4–6 दखें वेबसाइट यहाँ) और **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना** (दखें वेबसाइट यहाँ यहाँ और यहाँ) के अन्तर्गत 2012 तक प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ दिया जाय।
- 234 लाख के बी पी एल घरों के लिए मुफ्त बिजली (दखें वेबसाइट यहाँ)
- एक गाँव तभी विद्युतिकृत कहा जा सकता है अगर उसके आबादी वाले इलाके में बिजली हो और जहाँ गरीब या दीन समुदाय के लोग रहते हों। बिजली अहम् जगहों में दी जाये जैसे: स्कूल , पंचायत दफ्तर , स्वस्थ्य केंद्र, दवाखाने य सामाजिक केंद्र।
- गाँव में कम से कम १० प्रतिशत घरों में बिजली हो।

3 आवेदन का तरीका

क) गाँव जिस में कोई बिजली नहीं हैं, वहाँ बिजली मिलने के लिए(सफलता की आशा 10 प्रतिशत। समय सीमा 12 माह)

- जाँच करें कि क्या आपके गाँव विद्युतीकृत है या नहीं (वेबसाइट यहाँ और यहाँ)
- यदि नहीं ,तो उपर्युक्त क्षेत्रों में अपनं क्षेत्र की जाँच करें (वेबसाइट यहाँ) (क्लिक करें **कार्यन्वयन कार्यालय** पर और **डिस्कोम** पर)
- आवेदन डिस्कोम को लिखें नए निः शुल्क कनेक्शन अपने क्षेत्र के लिए। (वेबसाइट यहाँ)
- For electricity tariff click here. For area map click here

ख) गाँव जिस में बिजली हैं वहाँ बिजली के नए कनेक्शन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है

- आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र में जमा करें।
- मकान मालिक/किराएदार होने का प्रमाण पत्र, ।
- सादे कागज पर घोषणा (स्टांप पेपर की आवश्यकता नहीं है,) बी एण्ड एल फार्म, ।
- पहचान दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड,ड्राईवींग लाइसेंस, राशन कार्ड, या कोई भी चित्र पहचान ।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- आर.टी.आई भेजें सब–डिवीज़न में (वेबसाइट यहाँ)

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें।

2 उपयोगिताएं – (गैस)

खाना बनाने की गैस सस्ती और कम मात्रा में जलती है केरोसीन लकड़ी और गोबर की तुलना में, घर के लिए बहुत लाभदायक है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर नए कनेक्शन देने में परेशानी करते हैं, पर हर घर का यह अधिकार है।

1 सम्बंधित विभाग

खाना बनाने का गैस अब अर्ध–सरकारी है। अधिकांश कनेक्शन इनके द्वारा है:

- इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (इण्डेन) (वेबसाइट यहाँ है)
- *भारत गैस* (वेबसाइट यहाँ है)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (वेबसाइट यहाँ है)

2 अधिकार *(Best Source:Indian Oil Corporation* ***http://www.iocl.com/Products/Indanegas.aspx)***

क) गैस

- हर एक घर जिस में खाना पकाने की जगह है, वह एक गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।
- एक घर पर सिर्फ एक ही रसोई गैस कनेक्शन हो सकता है ।
- प्रत्येक 6 महीना अवधि में 6 गैस रीफिल (अप्रैल से सितम्बर, अक्टूबर से मार्च तक रु 431 की रियायती दर पर)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 70 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

कनेक्शन हेतु (आवेदन की प्रक्रिया हेतु यहाँ क्लिक करें)

i) क इण्डेन वेबसाइट यहाँ क्लिक करें । 'How Do I?' पर क्लिक करें, फिर 'Get a New Connection' । फिर 'Uttarkhand' सिलेक्त करें और फिर अपना शहर । कई डिस्ट्रिब्यूटर दिखेंगें, किसी एक चुन कर उन्हें फॉर्म भेजे।
डूसरा गैस प्रोवाईडर जेसे भारत गैस के लिए , डिस्ट्रिब्यूटर ढूँद कर आवेदन करो, पहचान व पता का प्रूफ़ के साथ ।

मेरा स्थानीय इण्डेन गैस सप्लायर है.....(पृ. 3 के टेबल पर इसे डालें)

ख. पहचान और निवास का वैध प्रमाण जमा करें। (पहचान पत्र, राशन कार्ड या बिजली बिल)

ग. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्राप्त करें (पता जांच लें)। उसे लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं।

घ. लागतः–

1. स्टोव रू0. 1850/, (अपना स्टोव यदि आइएसआइ मार्क है और मूल रसीद है व इण्डेन स्टाफ द्वारा रूपए 250 शुल्क देकर चेक कर लिया गया है तो प्रयोग करसकते हैं)
2. जमानत राशि रू0. 1250/
3. गैस रू0. 431/
4. पाइप रू0. 250/
5. रेगुलेटर रू0. 150/
6. इंस्टालेशन रू0. 45/
7. पासबुक रू0. 45/

कुल रूपए 2,420 (बिना स्टोव)(रसीद ले लें)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत करें; फिर
- ऑन लाअन शिकायत यहाँ करें , फिर
- इण्डेन सिनियर मैनेजमेंट; (including mgrover@indianoil.in (वेबसाइट हेतु क्लिक करें *http://www.iocl.com/contacts.aspx*)

5 सफलता की कहानी

गुड्डन करीब दो साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश लेने कोशिश में लगा हुआ था। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार किसी भी बहाना बोल के उसको कनेक्शन देने से मना कर देते थे । फिर गुड्डन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सीखा की कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है यह भी सीखा की किस तरह से अपने आवेदन पत्र को आगे बढ़ाना हैं सूचना के अधिकार (RTI) द्वारा । इस सीख के साथ वह दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफ़िस गयी । उन्होंने फ़िर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड्डन ने धमकाया की वह बड़े अफसर जो लखनऊ में है से शिकायत करेगी । बस इतना बोलना काफ़ी था : कर्मचारी उसकी हिम्मत देखकर सपिक्का गए और वे तुरंत काम पे लग गए । गुड्डन को अपना कनेक्शन एक हफ्ते के अन्दर ही मिल गया ।

छ. सफ़ाइ

1 सफ़ाई – (शौचालय)

भारत सरकार देखना चाहती है की हर घर में एक शौचालाय हो। परन्तु गाँव वाले पीढ़ियों से चली आ रही आदत घर के बाहर जाके शौच करने को बदलने में संकोच करते हैं। उनके हिसाब से वो उनका दुसरे लोगों से मिल पाते हैं।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय–पीने का पानी और सफाई विभाग (पूरी सफाई) (वेबसाइट हेतु क्लिक करें यहाँ)
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु) (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)

स्थानीय

- नगर पालिका से संबंधित ज़िले (उदाहरण जैसे नगर पालिका यहाँ)

2 अधिकार *(Best Source: (Best Source: Nirmal Bharat Abhiyan): http://tsc.gov.in/NBA/AboutNBA.aspx*

क) शौचालय (पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत) पूरी सफाई के दिशा निर्देश हेतु यहाँ और यहाँ क्लिक करें।

- 2017 तक सभी के पास शौचालय, यहाँ क्लिक कर
- बीपीएल परिवारए ए पी एल परिवारों जिनमे केवल अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति के परिवारए छोटे और सीमांत किसानोंए भूमिहीन मजदूरए शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले परिवारों को शौचालयों के साथ घर का निर्माण करने पे नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है

प्रत्येक शौचालय के लिए सहायता ६ प्रोत्साहन	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	घरेलू ६ समुदाय हिस्सा
व्यक्तिगत परिवार	3200	1400	900
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	60%	30%	10%
ग्रामीण स्कूल	35000 ;70%	15000 ;30%	0
आंगनवाड़ी	5600 ;70%	2400 ;30%	0

- **पंचायत** के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी को सरकार से रु 10,000 मिलते हैं ।
- अधिक जानकारी के लिए यहाँ और यहा¡ देखें

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 40 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- अपने गांव की स्वच्छता स्थिति की जाँच के लिए यहाँ क्लिक करें)
- पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत ज़िला अफसर द्वारा गांव चुना जाता है। यह चुनाव गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार की गणना करके ही पता चलता हैं। फिर गांव को शौचालय सुविधा उपलब्ध जाती है।
- **अगर आपके गांव में शौचालय की सुविधा उपलब्ध ना हो तो पंचायत** के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी में सीधे आवेदन करें

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी में सीधे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें ।
- **आर.टी.आई दें** श्रीमती प्रतिमा गुप्ता
  निदेशक ;निर्मल भारत अभियान)
  12 वीं मंजिलए पर्यावरण भवनए सीजीओ कॉम्प्लेक्सए लोधी रोड नई दिल्ली . 110003
  दूरभाष: **011. 24364427,** ईमेल: **pratima.g@nic.in**

5 सफलता की कहानी

2009 में खेरो गांव के श्री नरेन्द्र दुबे को पूरी सफाई आंदोलन के अन्तर्गत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गयी।

2 सफ़ाई – (नाली करंजा)

बरसात में गंवई इलाके में , गंन्दे व फिसलने वाले सडकें व पगडंडियॉ पर चलना मुशकिल हो जाता हैं, इसलिए पटरी व नाले ज़रूरी है। पटरी व नाले ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता आयोग की ज़िम्मेदारी हैं ।

1 सम्बंधित विभाग

स्थानीय सरकार:

- पंचायत की *ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता आयोग*
- शहर के क्षेत्रों में नगर निगम गलियो का फ़र्श, नालियों और सफाई के लिय जिम्मेदार हैं।

2 अधिकार *(Best source: Public health Engineering Dept)*

- Village Health and Sanitation Committees get Rs10,000 untied funds annually which can be used to build paved alleys & drains.

3 आवेदन का तरीक़ा **(Chance of success 70%. Time frame 1 month)**

- सीधे पंचायत को

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क) पंचायत से शिकायत करें फ़िर

ख) पंचायती राज विभाग जन सूचना अधिकारी

गा या जिला पंचायती राज विभाग के संपर्क http://panchayatiraj.up.nic.in/contact_us_dist.aspx
या ऑनलाइन शिकायत करे http://panchayatiraj.up.nic.in/complaint.aspx

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

ज. आवास

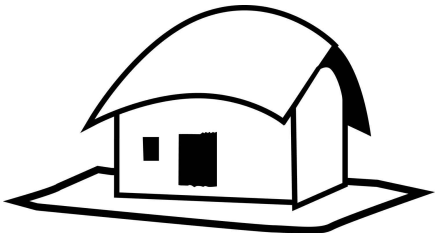

1 आवास– (इंदिरा आवास योजना)

इंदिरा आवास योजना का उदेश्य है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार हैं उनको घर प्रदान करना। यह योजना कार्य कर रही है, घर भी बन रहे है, पर दुसरी योजनाओं की तरह यह योजना भी भ्रष्टाचार की शिकार है जैसे बी.पी.एल सूची है। कई बार घर लेने की सूची में अमीर और प्रभावशाली लोग रहते हैं नाकि लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले जो गरीब और कमज़ोर हैं।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- ग्रमीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: Indira Awas Yojana **http://iay.nic.in/netiay/home.aspx**)*

भारत निर्माण के अन्तर्गत ध्येय है कि वर्ष 2014 तक 1.2 करोड़ घर गरीबों को प्रदान किया जाए। (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

क. इंदिरा आवास योजना

क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निम्न प्राथमिकता में बी पी एल परिवारों के लिए उपलब्ध है: (वेबसाइट के लिए **यहाँ** क्लिक करें)

- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो अत्याचार का शिकार हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो खास करके विधवा/अविवाहित महिला आवास हैं।
- Physically and mentally challenged persons

सहायता की सीमा (देखें इंदिरा आवास योजना की वेबसाइट यहाँ **और** यहाँ

- रू. 45,000 (या रू. 48,500 पहाड़ी क्षेत्र में) नया मकान बनाने के लिए, साथ ही अतिरिक्त कर्ज रू.20,000 ब्याज दर 4 प्रतिशत की दर पर।
- रू. 15,000 कच्चा मकान को पक्का बनाने के लिए।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 30 प्रतिशत। समय सीमा 2 वर्ष)

आवाश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता या विकास अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए।
इनके अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी:

क. आवेदन फॉर्म
ख. भूमि के मालिक का फार्म–1 और 15/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
ग. ग्राम सभा का प्रस्ताव।
घ. राशन कार्ड की कॉपी

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत से सीधे सम्पर्क करें; फिर
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास विभाग सम्पर्क यहाँ **देखें**।
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत यहाँ करें
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पर्क सूची यहाँ **देखें**।

5 सफलता की कहानी

अक्टूबर 2010, में 50 वर्षीय बिनया नामक गरीब किसान का घर 6 महिने मे मुख्य मंत्री आवास योजना के अंर्तगत बनाके दिया गया।

2 आवास – (भूमिहीनों के लिए भूमि)

*पीढ़ियों से कई परिवार जातिवाद के नाम पर भेदभाव, कर्ज़, धोखे और भ्रष्टाचार के सहारे से अपनी ज़मीन खोते आ रहे हैं। जिसकी वजह से उनकी पुरी ज़िंदगी किराए के घरों में और दुसरों के खेतों में काम करते हुए निकल जाती है। महत्वकांक्षी इलाका साइट योजना जो इंदिरा आवास योजना के अंर्तगत आती है वह असहाय लोगों को थोड़ी ज़मीन चाहे वह सिर्फ घर बनाने की जगह ही हो देने का प्रयास करती है। परन्तु दुसरी योजनाओं की तरह यह योजना भी **BPL** सूची की तरह भ्रष्टाचार से पीड़ित है।*

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)।
- इंदिरा आवास योजना (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- ग्रमीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(**Best Source:** See website **http://iay.nic.in/netiay/more_home.htm**)*

- ग्रामीण परिवार जिनके पास न तो कृषि भूमि है और न ही मकान के लिए स्थान है।
- लाभ उठाने वालों का चयन स्थायी इंदिरा आवास योजना के वेबसाइट से सूची में से प्रघानता के आधार पर होगा।
- यदि वह भूमि वर्तमान में किसी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के अधिकार में है और अगर घोषणा करना वर्तमान कानून और नियम के अनुसार संभव हो सके, राज्य सरकार भूमि को मकान के उपयोग हेतु स्थान के रूप में घोषित करेगी। अगर ये मामला नहीं है तो राज्य सरकार योग्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मकान के लिए स्थान सरकारी भूमि, में से प्रदान करेगी। सरकारी भूमि में सामुदायिक भूमि (गोचर आदि), पंचायत की भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरण की भूमि सम्मिलित है। अगर संतोषप्रद सरकारी भूमि देने के लिए उपलब्ध नहीं है तो इस उद्देश्य के लिए निजी भूमि खरीदी जाएगी या अधिकृत की जाएगी।
- मकान के लिए लगभग 100–250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने/अधिग्रहित करने के लिए आर्थिक सहायता रू. 10,000 प्रति लाभार्थी या कुल जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह आवश्यक है कि भूमि या तो महिला के नाम पर हो या पति और पत्नी के नाम पर मालिकाना हक हो।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत को।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत से सीधे सम्पर्क करें; फिर
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास विभाग सम्पर्क यहाँ **देखें**।
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत यहाँ करें
- आर.टी.आइ दे ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पर्क सूची यहाँ **देखें**।

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

झ. कृषि

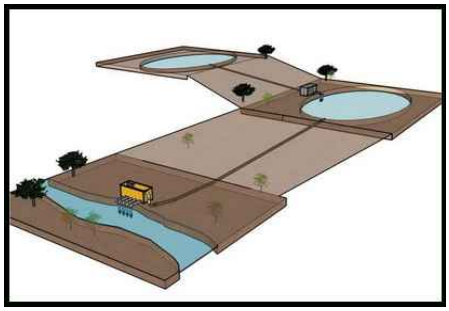

1 कृषि (सिंचाई)

भारत की आबादी बड़ी संख्या में गांव में रहती है और वह ज्यादातर खेती करते हैं। और खेती के लिए पानी सबसे ज्यादा ज़रूरी जलवायु परिवर्तन के कारण बारीश के मोसम का अंदेशा थोड़ा कम हो गया है जिसे खेती कठिन हो गई। निम्नलिखित योजनाओं का उदेश्य है की किसानों को सिंचाई करने में असानी हो मौसम के बारे में चिंतित ना हो।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- जल संसाधन मंत्रालय (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)
- केंद्रीय जन आयोग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)
- कृषि मंत्रालय
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ; क्लिक करें http://nfsm.gov.in)
  - लघु सिंचाई राष्ट्रीय मिशन ;क्लिक करें http://www.ncpahindia.com)

2 अधिकार *(Best Source: Ministry of Water Resources **http://mowr.gov.in/bharatnirman/index.htm**)*

लघु सिंचाई राष्ट्रीय मिशन ;क्लिक करें http://www.ncpahindia.com/nmmi/Guidelines-NMMI.pdf)

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी सहायता. **सिंचाई ड्रिप ६ छिड़काव** प्रणाली की लागत के 60:सरकार द्वारा और शेष 40: किसान द्वारा किया जाएगा होगाण
  सामान्य वर्ग के किसानों के मामले मेंए सब्सिडी सहायता लागत के 50: होगा शेष लाभार्थी द्वारा किया जाएगा
- लाभार्थियों के चयन में पंचायत शामिल डीआरडीए ;जिला ग्रामीण विकास एजेंसिद्ध होंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ; क्लिक करें http://nfsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf))

- **पम्प सेट के लिएमदद** : प्रति मशीन रुपये **10,000/-** सीमित या लागत का 50: तकए जो भी कम हो ही
- **पानी फुव्वारा सेट वितरण** : प्रति मशीन रुपये **7,500/-** सीमित या लागत का 50: तकए जो भी कम हो हीए राज्य कृषि विभाग के रूप में एनएफएसएम की कार्यकारी समिति के द्वारा निर्णय लिया जा सकता हैण

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 70 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु कोई भी समपर्क कर सकता है:

- पानी पंचायत; या ग्राम पंचायत कार्यालय; या
- जिला कलक्टर कार्यालय; या
- केंद्रीय जल आयोग।
- ओन लाइन आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ देखें या पृष्ठ 54
- अपने आवेदन की प्रगती देखने के लिए अपना ज़िला यहाँ देखें फिर अपना एरिया और पंजीकरण नम्बर लिखें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- कार्यालय में शिकायत करें जहां आपने पानी पंचायत; या ग्रम पंचायत कार्यालय; या जिला कलक्टर कार्यालय; या केंद्रीय जल आयोग में आवेदन किया हो।
- केंद्रीय जल आयोग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें, सचिव,केंद्रीय जल आयोग, कमरा नम्बर–313 (एस), सेवा भवन, आर.के.पूरम, नई दिल्ली–110066 फोन–26187232
- **NFSM** सेल के लिए 011-23389831
  डा. एम.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक (NFSM) ईमेल: mnsingh1959@rediffmail.com
  श्री CY Barapatre, सहायक Commissioner (NFSM) ईमेल: cyb_20007@yahoo.co.in
- **NMMI** लिए
  NCPAH, 10 वीं मंजिल, इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019, दूरभाष. : 011 - 46511275

2 कृषि – (कृषि बीमा)

ज्लवायु परिवर्तन का एक और पक्ष बड़ती हुए प्राकृतिक आपदा जैसे बवण्डर, बाड़, सूखा जिसे खेती खतरनाक हो जाती है। निम्नलिखित कृषि बीमाओं का उदेश्य की किसान अपनी खेती बीमा रहित और सुकुन मन से कर सके।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा लागू किया गया।
- 500 जिले और 20 मिलियन किसान इसके अन्तर्गत आ चुके हैं।

2 अधिकार *(Best source: National Agricultural Insurance Scheme http://agricoop.nic.in/dacdivision/credit.htm)*

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (विवरण देखें यहाँ)

- किसानों को प्राकृतिक आपदा, पेस्ट्स, बीमारी के परिणामास्वरूप नोटीफायड फसल की विफलता के कारण बीमा योजना का लाभ और आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- कर्जधारक किसान के लिए अनिवार्य, कर्ज न लेने वाले किसानों के लिए विकल्प के रूप में।
- सभी प्रकार की फसल इसके अन्तर्गत हैं (ज्वार, बाजरा, दाल), तैलीय बीज और वार्षिक आर्थिक/बागबानी फसल (गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज और हल्दी)।
- बाजरा और तैलीय बीज के लिए प्रीमियम दर हैं 3.5 प्रतिशत एवं अन्य खरीफ़ फसल हेतु 2.5 प्रतिशत, गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत और अन्य रबी फसल हेतु 2 प्रतिशत।
- छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को उनमें से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। 5 वर्ष की अवधि के बाद ये छूट चरणों में समाप्त हो जाती है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 0 प्रतिशत। समय सीमा 18 माह)

- प्रत्येक फसल के मौसम के आरंभ में राज्य सरकार फसल को नोटीफाय करती है और उस क्षेत्र के बारे में बताती है जिसे उसे मौसम के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लाया जाता है।
- गैर–कर्जदार किसान जो इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं वे एन.ए.आइ.एस का फार्म भरें और प्रीमियम के साथ फार्म को कमर्शियल बैंक के ग्रामीण शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोऑप्रेटिव बैंक में जमा कर सकते हैं।
- यह ब्रांच/पी.ए.सी.एस की जिम्मेदारी है कि वह बीमाकृत राशि के बारे में और अधिकतम सीमा के बारे में जांच करे जबकि वह प्रस्ताव मंजूर कर रहा हो।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- कमर्शियल बैंक की ग्रामीण शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोआप्रेटिव बैंक के पी.ए.सी.एस में सीधे शिकायत करें जहां कि आपने आवेदन किया है; फिर
- भारतीय कृषि बीमा कंपनी को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दें।
- आरटीआई विभाग ;कृषि और सहयोग पीआईओ के लिए संपर्क यहाँ क्लिक करें

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

3 कृषि – (आर्थिक सहायता)

अरब से उपर की आबादी वाले देश में किसानों की बहुत ज्यादा ज़रूरत है ताकि भोजन की स्थिर खाने की सप्लाई हो सके। सार्वभौमिकता होने के कारण मूल खेती के बीज और उपकरण की कीमतें बढ़ गई है। निम्नलिखित योजनाओं का उदेश्य है की किसानों को कम दरों पे खेती के लिए मूल समान मिल सके जिसे खेती लाभदायक और प्रोतसाहित रहें।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार:

- कृषि मंत्रालय
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन **(http://nfsm.gov.in/** क्लिक करें**)**

उत्तराखण्ड सरकार:

- कृषि विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)
- उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: http://nfsm.gov.in/NfsmMIS/StateProfile/Introduction.aspx and http://agricoop.nic.in/stateagri.htm)*

क) सबसिडी

- बीज : 50 प्रतिशत
- औज़ार : 50 प्रतिशत। हैन्डपम्प 75 प्रतिशत से लेकर 15,000रू । डिज़ल/बिजली पम्प 50 प्रतिशत से लेकर 10,000रू

ख) सरकार बीज किसानों से खरीदती है।

- सोयाबीन, मक्का, दाल 1000रू प्रति क्विंटल
- पैडी 500रू प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत (क्लिक करें http://nfsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf)

- बीज मिनी किट की पूरी लागत सब्सिडी के रूप में : गेहूं के लिए 10 किलो प्रति 50 हेक्टेयर , 5 किलो प्रति 50 हेक्टेयर चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए और 6 किलो प्रति 50 हेक्टेयर चावल की हाइब्रिड केलिए
- NFSM गेहूं , NFSM चावल और NFSM तेल के बीज योजनाओं के तहत ऊ प्र के चुने हुए जिले लाभार्थी हैं अपने पंचायत से पता करें या यहाँ क्लिक करें http://nfsm.gov.in/Guidelines/ContentE.pdf

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- UPAGRO को आवेदन दें।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- आर.टी.आइ दें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग यहाँ देखें।
- **NFSM** सेल के लिए 011-23389831:
  डा. एम.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक (NFSM) ईमेल: mnsingh1959@rediffmail.com
  श्री CY Barapatre, सहायक Commssioner (NFSM) ईमेल: cyb_20007@yahoo.co.in

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

अ. सड़कें

भारत के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पक्की सड़क नहीं बनी है। जिससे कई समस्याएँ होती हैं, विशेषकर बारीश के मौसम में माल को लाने और ले जाने में,बच्चों को स्कूल जाने में या मरीज़ों को अस्पताल जाने में। भारत सरकार ने यह निर्देश दिये हैं कि 2012 तक हर गांव जिसकी अबादी 1000 या उससे ऊपर है उनको पक्की सड़क बना के दी जाएगी।

1 सम्बंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- **भारत निर्माण** (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)।
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)।

उत्तराखण्ड सरकार:

- लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: Bharat Nirman* **http://bharatnirman.gov.in/road.html***)*

क. **भारत निर्माण** के अन्तर्गत उद्देश्य है कि 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव (पहाड़ी क्षेत्र में 500) में वर्ष 2010 तक हर एक मौसम में उपयोगी सड़क द्वारा पहुंचा जा सके। (वेबसाइट देखें यहाँ और यहाँ पृ. 7) । विशेष सड़क योजनाएं हैं:

ख. **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना** (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 12 माह)

क. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को सीधे आवेदन दें यहाँ ; या
ख. जिला पंचायत / डीआरडीए को सीधे आवेदन दें
ग. उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

क. आर.टी.आइ दे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (यहाँ क्लिक करें फिर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन)
ख. आर.टी.आइ दे लोक निर्माण विभाग (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें)

5 सफलता की कहानी

बरचखेड़ा गांव मे सड़क न होने के कारण गांव में कई डकैती होती थी। 2010 मे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत 3 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़क बनाई गयी जो गावं को मुख्य सड़क से जोड़ती है ।

ट. मानवाधिकार

1 मानवाधिकार . घरेलू हिंसा

भारत में महिला की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। आज भी घर पर महिला को हर रोज़ अपने पति द्वारा बुरा व्यवहार एंव मार सहना पड़ता है। यह व्यवहार समाज और सरकार की दृष्टि में अस्वीकार्य है। यह नए घरेलू हिंसा अधिनियम में दर्शाया गया है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- **राष्ट्रीय महिला आयोग** (वेबसाइट यहाँ देखें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- उत्तराखण्ड सरकार महिला आयोग (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)
- उत्तराखण्ड पुलिस (वेबसाइट के लिय यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 here)*

घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति अधिनियम में सम्मिलित है: (देखें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यहाँ)

- मुख्य अत्याचार या अत्याचार करने की धमकी।
- अत्याचार शारीरिक, व्यभिचारात्मक, ज़बानी, भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है।
- परेशान करना, महिला से या उसके सम्बंधियों से गैरकानूनी दहेज की मांग करना भी इसमें शामिल हो सकता है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 40 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

- ग्राम पंचायत से बातचीत करें और देखें कि वे समस्या का हल स्थानीय तौर पर कर सकते हैं या नहीं; यां
- पीड़ित महिला, **स्थानीय थाने** में एफआइआर दर्ज कराए जिसके बाद पुलिस चिकित्सा जांच/प्रमाण का प्रबंध करेगी और शिकायत की जांच करेगी; (निकट के पुलिस थाने के लिए क्लिक करें यहाँ फिर अपना ज़िला देखे);

  मेरा स्थानीय पुलिस थाना है.....(पृ.3 पर विस्तार हेतु एंटर करें) या
- उत्तराखण्ड **महिला आयोग से बातचीत करें।** पीड़ित महिला एक बयान देती है। आयोग पति को बुलाएगी और अगर वह उत्तराखण्ड महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो आयोग न्यायालय को मुकदमा स्थान्तरित कर देती है।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- ग्राम पंचायत को सीधे शिकायत करें; फिर
- **पुलिस** से सीधे सम्पर्क करें और प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करें(शिकायत करने के लिए सम्पर्क हेतु क्लिक करें यहाँ); फिर
- उत्तराखण्ड महिला आयोग को आर.टी.आइ दे ।

  श्रीमती राजेन्द्र वर्मा ६ श्रीए चपी श्रीवास्तव

  कानूनी अधिकारी अंकिता शुक्ला 0522.2304903 फिर
- **"Stand Up Against Violence" Contact** अपने जिला और विभाग को यहाँ चुन कर शिकायत करें ।

5 सफलता की कहानी

दिनेश शराब पीकर अपनी पत्नी को खूब पिटता था। उसकी पत्नी ने पुलिस में जाके शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस ने दिनेश कि खुब पिटाई की और कहा की अगर उसने फिर अपनी पत्नी को मारा तो वह फिर पिटेगा। यह घमकी काफी थी उसे रोकने के लिए

2 मानवीय अधिकारः बाल मज़दूर और वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार

कई लोग बच्चों या विशेषकर लड़की को समान की तरह खरीदते और बेचते है। हर दिन हम बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, यहाँ तक अपने घरों में काम करते हुए देखते हैं।एसी मज़दूरी से हम बच्चों का बच्चपन उनसे छीन रहे हैं जो अब गैरकानूनी है। अवैद्य व्यापार का मतलब अपहरण करके बेचना और उसे भी बुरा वेश्यावृति में डालना। एक नवयुवती का जीवन कितना खौफनाक होता है जब वह अपने परिवार से बिछड़ कर, अवैद्य व्यापार द्वारा वेश्यावृति में डाल दी जाती है। जहाँ उसका हर दिन बार बार बलात्कार होता है। हर साल कई हज़ार लड़कियाँ इस व्यापार की शिकार हो जाती है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है अगर आप और मै साथ मिलकर इसको रोक सकें अगर किसी को देखकर शंका हो तो।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (वेबसाइट हेतु यहाँ देखें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- **उत्तराखण्ड महिला आयोग** (वेबसाइट यहाँ देखें और नीचे स्क्रॉल करें)
- **उत्तराखण्ड पुलिस** (वेबसाइट यहाँ क्लिक करें फिर अपना ज़िला देखें)

2 अधिकार *(See **Child Labour (Prohibition & Regulation) Act** 1986 **here***

- बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम हो उनसे खतरनाक काम (जैसे ढाबाओं) में काम करवाना गैरकनूनी हैं।
- यह भी गैरकनूनी हैं कि बच्चो से वेश्यावृति/अवैद्य व्यापार का काम करवाना । इस नियम के अंदर वेश्या वृतिघर चलाना भी गैरकनूनी हैं। (वेबसाइट यहाँ देखें)।

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 90 प्रतिशत। समय सीमा 2 दिन)

- **निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1098** पर फ़ोन करें। यह **हेल्पलाइन 10 अक्तुबर 2006 को शुरू की गई ताकि बाल श्रम और** अवैद्य बाल व्यापार के बारे में पुछताछ कर सकें। यह सेवा 24 घंटे प्रतिदिन गैर सरकारी संस्था *CHILDLINE* के द्वारा उपलब्ध करी गई है (वेबसाइट यहाँ देखें)।**1098** (आपके प्रदेश का शहरों के लिए यहाँ देखें)
- अगर कोई **बाल श्रम और** अवैद्य बाल व्यापार देखें तो स्थानीय पुलिस थाना को FIR दें। (अपने सीनीयर पुलिस थाना के जानने के लिए यहाँ क्लक करें फिर अपना ज़िला देखें)।

  मेरा स्थानीय पुलिस थाना है.....(पृ.3 पर विस्तार हेतु एंटर करें)
- अगर कोई बच्चा किशोर न्याय अधिनियम के अंर्तगत अवैद्य बाल व्यापार से बचाया जाए तो *CHILD HELPLINE* और पुलिस को बच्चे को 24 घटों के अंदर बाल विकास कमेटी के सामने पेश करना होता है। उसके बाद 6 महीनों के लिए उन्हें एक सुरक्षित घर में रखा जाना ज़रूरी है। उस दौरान प्राधिकरण निर्णय लेगें की क्या बच्चे को सुरक्षित है या नहीं धर भेजना।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- 1098 को फ़िर दो बारा फ़ोन करें।
- शिकायत की जांच करे (निकट के पुलिस थाने के लिए क्लिक करें यहाँ फिर अपना ज़िला देखे)
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकृत यहाँ करें
- आर.टी.आइ दे **श्रम विभाग** (संपार्क यहाँ क्लिक करें)

5 सफलता की कहानी

एक आदमी रू 11,000 की ज़रूरत थी । उसने महाजन से कर्ज़ लिया, इस शर्त पर, कि आदमी ने अपना 12 साल की बेटी महाजन को देना था, 1 साल के लिए, नौकर के रूप में। 1 साल बाद, बाप ने अपनी बेटी वापस ली पर थेड़ी ही देर बाद महाजन ने कहा कि अभी तक कर्ज़ पूरा नहीं हुई थी । यह कहकर महाजन ने न सिफ़ बेटी, बल्की बेटा और बीवी भी ले ली। फ़ोरन आदमी ने 1098 को फ़ोन की । थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने बदमाशों को रेलवे स्टेशन पर गिरफ़्तार किया।

ठ. पहचान के दस्तावेज़

1 पहचान के दस्तावेज–(मतदाता फोटो पहचान पत्र)

ऊपर दी गई योजनाओं को पाने के लिए कुछ योग्य दस्तावेज़ों को दिखाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुनयादी दस्तावेज़ मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है। हर भारतीय जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है उनका यह अधिकार होता है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- **भारत का चुनाव आयोग** (अधिक जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें)

उत्तराखण्ड सरकार:

- **मुख्य चुनाव अधिकारी** (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source:Chief Electoral Office* **www.ceo.uk.gov.in** *)*

- मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु (अगर आवेदन करने के वर्ष में आवेदक ने 1 जनवरी को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो)
- मतदाता फोटो पहचान पत्र (अगर मतदाता सूची में नाम हो तो)

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र मोहिम समय सीमा 1 माह)

i) मतदाता सूची में नाम के लिय निर्देश पर देखें फार्म–6 पृष्ठ 61 देखे

- मतदाता सूची में नाम लिखाने हेतु यहाँ देखें अगर नहीं है तो:
- समय–समय पर जब घर–धर जाकर मतदाता सूची का नवीनीकरण लगभग 5 साल में होता है तो पंजीकरण कराएं; या
- नए पंजीकरण को चुने अपने ज़िले और सदन को पृष्ठ 3 देखें)
- अपने मतदान क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर किसी भी समय फार्म–6 (डाउनलोड करें यहाँ से या पृष्ठ 61) भर कर पंजीकारण कराएं। अपने मतदान क्षेत्र के बुथ अफसर का नाम मिलने के लिए क्लिक करें ।

निम्नलिखित दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी:

- आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र या स्वःघोषणा। (फार्म–6 पृष्ठ 61 का आखरी पृष्ठ देखे)
- आवास का प्रमाण (निवास की न्यूनतम समय आवश्यक नहीं है,लेकिन आप को कुछ दस्तावेजी प्रमान की ज़रूरत होगी कि आप वहाँ रहते हैं।):-

1. बैंक/किसान/डाक घर का हाल का पासबुक, या
1. आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्रायविंग लाइसेंस/आय कर असेसमेंट आर्डर, या
2. हाल का पानी/टेलिफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल पता के लिए, या तो ये आवेदक के नाम से हो या फिर उसके निकटतम सम्बंधी जैसे पिता/पति के नाम से हो; या
3. डाक विभाग के द्वारा जारी या प्राप्त डाक पता के लिए जिस पर आवेदक का नाम पता के साथ दिया गया हो।

ख. मतदाता फोटो पहचान पत्र

मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता केंद्र (वी आर ई सी) में निम्नलिखित के साथ आवेदन करें:

- मतदाता सूची पर नाम (जांच ले कि यहाँ सूची में आप नाम है या नहीं)
- पहचान का दस्तावेज; एवं
- मान्य आवासीय सबूत

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

1. मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता कार्यालय में सीधे शिकायत करें जहां आपने आवेदन दिया था; फिर
2. मतदाता पंजीकरण कार्यालय में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करें जहां आपने आवेदन दिया था।सम्पर्क के लिए यहाँ देखें।

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

2 पहचान के दस्तावेज़ – आधार कार्ड

आधार कार्ड 12 अंको का नंबर UID है जो हर भारतीय को जारी किया जाएगा । इस नंबर द्वारा सभी नागरिकों का रिकार्ड जिसमें उसका नाम , जन्म तिथि, जन्म स्थल , माता पिता का नाम और उनका UID , पता, लिंग, मृत्यु की तारिख, तस्वीर और उँगलियों के निशान होंगे।आधार कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है। अच्छा होगा की हम सबके पास आधार कार्ड हो। इससे बैंक खाता खुल सकता है। परन्तु अभी वो अनिवार्य नहीं हैं।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार

- UIDAI (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best source: Aadhaar site http://uidnumber.org/aadhaar/what-is-aadhaar/)*

- हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसके पास पर्याप्त दस्तावेज़ हो उनको आधार कार्ड मिल सकता है।
- जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनसे संबंधित जानकारी नहीं ली जाएगीं। अथवा उनका आधार कार्ड उनके माता पिता / संरक्षक से जोड़ा जाएगा ।
- 5 साल से कम बच्चेकी पहचान उसके माता पिता से जोड़ी जाएगी। पांच साल पूरे होने के बाद, बच्चे की आधार के अंर्तगत गणना की जाएगी।15 साल के बाद बच्चे का पंजीकरण दुबारा से किया जाएगा।

3 आवेदन का तरीक़ा (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

- आवेदन फार्म यहाँ भरें ।या पृष्ठ 65 पर फार्म देखें ।
- दस्तावेज़ जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो यह है :
- पहचान पत्र ,
- घर का प्रमाण पत्र ,
- जन्म प्रमाण पत्र ;
- विस्तार में दस्तावेज़ जो दिखाए जा सकते हैं वो यह है।)
- पंजीकरण के लिए यहाँ दिए गए संस्थान में अपने दस्तावेज़ जमा कराएं।
- जिनके पास ऊपर दिए गए दस्तावेज़ ना हो तो उनके लिए *Introducer* योजना उपलब्ध की हैं। पंजीकरण के कुलसचिव किसी भी व्यक्ति जिसके पास पहले से आधार कार्ड है उनको यह अधिकार दे सकते हैं। जो संबंधित व्यक्ति और द्वारा दी गयी सभी जानकारी की साक्षी दें। *Introducer* सरकारी कार्यशाला, बैंक, टीचर, गाँव का पोस्टमास्टर, चुना हुआ अभियुक्त या गैर सरकारी संस्था हो सकते हैं। *Introducer* को पहले पंजीकृत करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका *UID* उनके साथ पंजीकृत किया जाएगा जिनके नाम पहले से सूची में दिए गए हैं।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता न मिले)

- 011 23752677 संपर्क करें।
- RTI लिखें
  केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी (CPIO) UIDAI से सम्बंधित हैं
  श्री आशीष शर्मा
  ADG & CPIO
  २ मंजिल , टावर १
  जीवन भारती बिल्डिंग, कनौत प्लेस
  नयी दिल्ली ११०००१
- फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कृपया करके अपील सम्बन्धी कुलसचिव को संपर्क करें
  श्री देवेंदर कुमार
  २ मंजिल ,३ टावर १
  जीवन भारती बिल्डिंग कनौत प्लेस, नयी दिल्ली ११०००१

3 पहचान के दस्तावेज़ – (जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र)

जन्म प्रमाण पत्र एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। बच्चों से संबंधित जानकारी /योजनाओं को लेने के लिए, जैसे धनालक्ष्मी (पृष्ठ 13) या स्कूली दाखिला (पृष्ठ 22)।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना(पृष्ठ 11) के लिए ।

1 सम्बंधित विभाग

उत्तराखण्ड सरकार:

- **जिला प्रशासन: (उत्तराखण्ड में डीएम लिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें)**
- **अपने जिले के बारे में अधिक जानकारी के लिय http://districts.nic.in/ क्लिक करें)**

नगर पालिका (स्थानीय) प्राधिकारी

2 अधिकार *(Best sources: http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php*

जन्म प्रमाण पत्र

हर बच्चा जो अस्पताल या घर में पैदा उत्तराखण्ड में होता है। उसको जन्म प्रमाण पत्र पाने का पूरा अधिकार है।

मृत्यु प्रमाण पत्र

हर परिवार जिसके सदस्य की मृत्यु उत्तराखण्ड में हुई हो । उसको मृत्यु प्रमाण पत्र पाने का पूरा अधिकार है।

3 आवेदन का तरीका

क. जन्म प्रमाण पत्र (सफलता की आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 2 माह)

प्रक्रिया देखने के लिए क्लिक करें यहाँ

अगर जन्म का पंजीकरण जन्म के 21 दिनों के अन्दर हुआ हो तो:

- अस्पताल में जन्म – नगर पालिका अधिकारियों और माता/पिता को पर्ची दी जाएगी; या
- धर में जन्म, 15 दिन के अंदर पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र जारी करें। अगर वह ना करें तो आंगनवाडी कार्यकर्ता जिसने जन्म का पंजीकरण किया है वह *ANM* को रिकार्ड दें जो जन्म प्रमाण पत्र सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र के ब्लोक मेडिकल अफसर से दिलवाएगीं।
- जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए साधारण तौर पर नगर पालिका अधिकारी के पास जाएं।

अगर समय पर जन्म का पंजीकरण न हुआ हो तो और बच्चे की उम्र 1 वर्ष हो गई हो तो एस.डी.एम या डी.एम के पास जाएं।

- http://districts.nic.in/ या यहाँ क्लिक करे फिर अपना राज्य और ज़िले के एस.डी.एम या डी.एम को देखें।
- (मेरे गांव का एस.डी.एम/ डी.एम है.....पृ.3 पर रखें)
- आपको एक शपथ पत्र की आवश्यकता होगी जिसमें पिता का नाम, बच्चे का नाम, जन्म तिथि और पता का विवरण होगा।
- ये बच्चा सच में है, ये सिद्ध करने के लिए आपको कोई दस्तावेज प्रमाण देना होगा। (विद्यालय रिकार्ड आदि); और
- उसके बाद बच्चे की मौजूदगी जानने के लिए एक पुलिस जांच होगी।

ख. मृत्यु प्रमाण–पत्र (सफलत का आशा 60 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

प्रक्रिया देखने के लिए क्लिक करें यहाँ

मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए मृत्यु के 21 दिनों के अन्दर पंजीकृत होना चाहिए:–

- अस्पताल में मृत्यु – नगर पालिका अधिकारी को पर्ची दी जाएगी।
- घर में मृत्यु, घर के मुखिया को नगर पालिका में मृत्यु का पंजीकरण कराना चाहिए।

मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्तु करने हेतु नागर पालिका अधिकारियों के पास जायें:

- कब्रिस्तान/शमशानघाट की पर्ची;
- पहचान पत्र या राशन कार्ड;
- अगर मृत्यु को हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका हो तो एसडीएम/डीएम से प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- अपने बड़े अधिकारी के पास जा के अपने आवेदन के बारे में पुछताछ करें।
- सूचना के अधिकार के तहत एस.डी.एम/डी.एम को आवेदन दें (डी.एम के लिस्ट देखने यहाँ या *http://districts.nic.in/* लिए क्लिक करे)

4 पहचान के दस्तावेज़–(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र

जिस मनुष्य के पास अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र हो तो वह आरक्षण के अंर्तगत विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए और कुछ सरकारी नौकरियों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्रीय सरकार:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय http://socialjustice.nic.in/aboutdivision4.php

उत्तराखण्ड सरकार:

- **जिला मजिस्द्रेट** (उत्तराखण्ड क डी.एम के लिस्ट देखने यहाँ या *http://districts.nic.in/* क्लिक करे)

2 अधिकार *(Best source: http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php)*

अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी सदस्य (अनुसूचित जाति की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और जनजाति के लिए यहाँ या अन्य पिछड़ी जाति का कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य है, उसके बाद वह किसी भी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जैसे

- विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए
- कुछ सरकारी नौकरियों में नौकरी के लिए

लेकिन व्यवसाय या आय के 'क्रीमी लेयर' में आने वाले किसी भी व्यक्ति को इस में शामिल नहीं किया गया है। क्रिमी लेयर की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 6 माह)

प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

- आवेद–पत्रका फार्म या ता यहाँ ऑन लाइन पर उपलब्ध है या रि सब–डिवीजनल मैजिट्रेट या रेवन्यू विभाग के तहसीलदार के बाद उपलब्ध है।
- अगर आपके परिवार में पहले किसी भी सदस्य को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो आपको प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले एक जांच की जाएगी।
- उत्तराखण्ड में एक विशेष अवधि तक रहने का प्रमाण
- आप अनुसूचित जाति के हैं की व्याख्या करता हुआ एक शपथ–पत्र।
- आवेदन के समय कोर्ट स्टैम्प शुल्क की एक विशेष राशि देनी होगी।
- उसके बाद आपके निवास, आया, जाति और 'सम्पन्नता' की जांच की जाएगी।
- 21 दिनों के अन्दर जांच हो जानी चाहिए।

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- डीएम/एसडीएम कार्यालय में जहां आपने आवेदन जमा किया है पता करें; फिर
- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत डीएम/एस.डी.एम के पास आवेदन करें। *http://districts.nic.in/* या यहाँ क्लिक करे फिर अपना राज्य और ज़िले के एस.डी.एम या डी.एम को देखें)

5 सफलता की कहानी

पिपोरा खुरदा गांव के घनशयान पाल ने अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र के लिए तहसील कार्यालय छतरपुर जिल में अपना आवेदन जमा कराया। उन्हें एक महिने के अंदर प्रमाण पत्र मिल गया।

5 पहचान के दस्तावेज़ – (बैंक खाता)

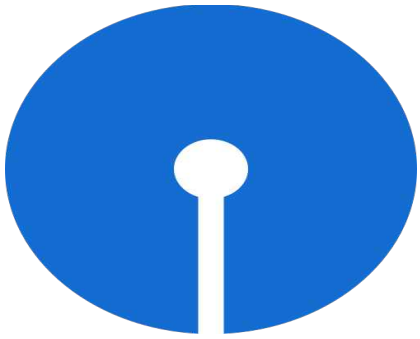

*योजनाएँ जैसे विधवा पेंशन अथवा दुसरे सरकारी वेतन (पृष्ठ **11**) का उपयोग करने के लिए बैंक खाता को खोलना आवश्यक है।*

1 सम्बंधित विभाग

सरकारी बैंक

- **ग्रामीण बैंक**
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, सेंट्रल बैंक

निजि बैंक

- कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक

डाक घर

टिप्पणी: सामान्य तौर से बड़े अन्तराष्ट्रीय बैंक गरीबों का खाता खोलने में रूचि नहीं लेते, इसलिए सामान्य बैंक में प्रयास करें जिनकी शाखाएं हर जगह हैं। एसबीआई और कॉरपोरेशन बैंक में हमें सफलता मिली है।
हमें लगता है कि **ग्रामीण बैंक** पर पहचान का प्रमाण सब से आसान है ।

2 अधिकार *(Best source: ?)*

- संतोषप्रद दस्तावेज़ और एक गवाह के द्वारा 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति बैंक खाता खुलवा सकता है।

3 आवेदन का तरीका (सफलता की आशा 90 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

आधार कार्ड के लिए निवेदन दें (कृपया पृष्ठ 38 देखें) जिससे आप बैंक खाता खोलने के योग्य हो जाएगे।

डाकघर के लिए

- फॉर्म SB3 भरे :
- फॉर्म SB103 भरे :
- हस्ताक्षर :
- एक गवाह : और
- रुपए 50/–

दूसरे बेंकों के लिए

- फॉर्म भरे (एक ऐसे गवाह के हस्ताक्षर के साथ जिसका उस बैंक में 6 माह से अधिक समय से खाता हो)।
- पता का प्रमाण (राशन कार्ड एवं पहचान पत्र जिसपर एक जैसा पता हो) (डाक घर में खाता खुलवाने में कम प्रामाण की आवश्यकता होती है)।
- 2 पासपोर्ट फोटो
- कम से कम जमा राशि रूपए 500/–

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- बैंक मैनेजर/डाक घर मैंनेजर से सीधे अपील करें।

5 सफलता की कहानी

6 पहचान के दस्तावेज़ – (व्यक्तिगत खाता नम्बर (पैन कार्ड)

पैन कार्ड आयकर जमा करने के लिए आवश्यक होता है। कोई भी भारतीय पैन कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है या रख सकता है चाहे वह आयकर भरे या ना भरे । पैन कार्ड से कई दुसरी सेवाओं को लिया जा सकता है जैसे बैंक खाता खोलना ।

1 सम्बंधित विभाग

केन्द्र सरकार:

- **आय–कर विभाग** (वेब साइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

2 अधिकार *(Best Source: Tax Information Network **https://tin.tin.nsdl.com/pan/form49A.html**)*

क. आय–कर अदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है।

ख. कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह आय–कर अदा करता हो या न करता हो, पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है व प्राप्त कर सकता है।

3 आवेदन प्रकिया (सफलता की आशा 80 प्रतिशत। समय सीमा 1 माह)

- फॉर्म 49ए ओनलाइन यहाँ भरें,इन्टरनेट से डाउनलोड करें (फार्म के लिए यहाँ क्लिक करें) या पृ 66 पर देखें।
- प्राप्ति रसीद प्रिंट करें, हस्ताक्षर करें औरं संलग्न करें।
    - फोटो,
    - पहचान का प्रमाणः इन में से कोई भी– स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस (जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
    - आवासीय प्रमाणः इनमें से कोई भी– हाल का फोन बिल, किराए की रसीद, राशन कार्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस आदि (जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
    - रूपए 94/–(ड्राफ्ट द्वारा या ऑन लाइन)

आवेदन इस पते पर भेजें:

आय–कर पैन सेवा इकाई,
नेशनल सेक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड,
तीसरी मंजिल, सफायर चैम्बरर्स,
निकट बानेर टेलिफोन एक्सचेंज,
बानेर, पूणे – 411045 ,

4 दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- यहाँ ऑन लाइन आवेदन की स्थिति देखें (12 अंकां वाले रसीद नम्बर का प्रयोग करें)
- एसएमएस करें– **NSDLPAN <खाली जगह> प्राप्ति रसीद नम्बर** लिख कर 57575 पर एसएमएस कर के स्थिति का पता करें
- tininfo@nsdl.co.in पर ई–मेले करें।
- 020–27218080 पर कॉल सेंटर को फोन करें

5 सफलता की कहानी

अपनी कहानी यहाँ लिखें!

ड– अतिरिक्त

1 अतिरिक्त–(सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस क़दम)

1. गहरा सम्बंध बनाएं – समुदाय में निवासियों के साथ

किसी भी निर्धन समुदाय में परिवर्तन के स्थायित्व की कुंजी स्वयं वहां के निवासी होते हैं। लेकिन अक्सर, पीढ़ियों की निर्धनता और सशक्त लोगों द्वारा तिरस्कृत, निवासी इतने अधिक शक्तिहीन हो जाते हैं कि वे अपनी परिस्थिति को अपनी नियति मान लेते हैं। समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी समस्याओं को पहचानने और उसका निराकरण करने के योग्य बन सके और उसके बाद निवासियों के छोटे समूह के लिए है कि वह अपने समुदाय में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए ज्ञान, कुशलता और 'हृदय' (हिम्मत, आत्म विश्वास और आत्म त्याग) को विकसित करे। हम विश्वास करते हैं कि मुख्य निवासियों में ज्ञान, कुश्लता और हृदय को विकसित करने में सहायता देने के लिए सब से बेहतर रास्ता ये है कि हमारे अपने कार्यकर्ता समुदाय के मुख्य व्यक्तियों के साथ समानान्तर, स्नेहपूर्ण सम्बंध स्थापित करें। हालांकि हमारे कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के आरम्भ से समुदाय के मुख्य लोगों से साथ घनिष्ट सम्बंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किस के साथ सम्बंध स्थापित किया जाय, इसका चुनाव करने के लिए हम जानबूझ कर नेक हृदय रखने वाले ऐसे मुख्य निवासी को ढूंढ़ते हैं जो समुदाय के विकास के सफर को संस्था के द्वारा छोड़े जाने पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हों।

निवासियों के साथ बेहतर सम्बंध स्थापित करने का एक अतिरिक्त लाभ यह होता है कि जब हम 2 सितम्बर को रिसर्च करेंगे तो हम समुदाय की सच्ची कहानी को प्राप्त कर सकेंगे।

2. सीखो समुदाय के बारे में – देखना एवं पूछताछ

यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को स्वंय को विशषज्ञ की हैसियत से न जा कर सीखने वाले की तरह जाकर आरम्भ करें। समुदाय के बारे में जानने के सबसे उत्तम तरीकों में से एक है कि साधारण रूप से आप स्वयं घूम घूम कर आवास, बिजली, सफाई, जल, सामुदायिक सम्बंध, किनारे पड़े समूह आदि की परिस्थिति का अवलोकन करें। लेकिन समुदाय कुछ चीजों जैसे कॉलोनी का इतिहास, अपनी कॉलोनी के बारे में निवासी किस बात को शाबाशी देते हैं और अपनी किस समस्या को वे वरीयता देते हैं आदि के बारे में हम अवलोकन नहीं कर सकते। इन गुप्त तथ्यों को जानने के लिए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उनके साथ जिनके साथ हम निकट का आपसी सम्बंध बना रहे हैं (कदम 1 से आगे)।

3 सोचो – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सम्बंध में यह आवश्यक है कि ज्वलंत समस्याओं के बारे में उनमें स्वयं एक एहसास होना चाहिए, एक टीम की हैसियत से हमने जो कदम 2 से सीखा है उसका मुल्यांकन करना चाहिए। ये मुल्याकन उन समस्यों को प्रकाश में लाएगा जो निवासियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जो समस्या विपक्ष उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन समसयाओं को प्रकाश में लाने से उनका निराकरण सफलता के साथ किया जा सकेगा। ये मुल्यांकन इसलिए नहीं हैं कि उन्हें समुदाय पर थोपा जाए, बल्कि इसका लाभ ये है कि समुदाय की बैठक बुलाने से पहले यह निर्णय लिया जा सके कि किस समस्या पर पहले कार्य आरम्भ किया जाए (कदम 4)।

4. मीटिंग चलाओ – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

जबकि हमारी संस्था की टीम सितम्बर 3 को अपना मूल्यांकन करती है, अन्तिम निर्णय लेने में ये महत्वपूर्ण है कि पहले किस समस्या का निराकरण किया जाए जिसे हकीकत में निवासियों को स्वयं करना है। इसे एक सामूदायिक बैठक में जिसमें बहुत सारे निवासियों के समूह जैसे महिलाएं, बच्चे, मुसलमान, हिन्दू, वंचित आदि शामिल होंगे किया जाना है। बहुंत सारे विभिन्न समूह और भिन्न विचारधारा रखने वाले समूहों के साथ एक सफल बैठक का आयोजन करना इस पूरी प्रक्रिया में सब से अधिक कठिन कार्य है। संचालक को प्रत्येक पार्टी को सुनना, ऊंची आवाज उठाने वालों को शान्त करना और प्रथम समस्या के निराकरण के लिए निवासियों को एक मत करना होगा।

5. सीखो – संसाधनों के बारे में जिस से समस्याओं का समाधान किया जा सके

समूदाय के द्वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात कि पहले किस समस्या का समाधान किया जाए, हमारी संस्था इस मैनुअल का प्रयोग कर सकती है, इसका बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट रिसर्च, आर.टी.आइ. का प्रयोग और समुदाय से सम्बंधित उपलब्ध संसाधनों के सम्बंध में सूचनाओं को इक्टठा करना आदि समस्या के समाधान में प्रयोग हो सकेगा। हो सकता है कि ये संसाधन सरकार के पास (**इस पुस्तिका में**), स्वयं सेवी संस्थाओं के पास, और स्वयं समुदाय में पाए जाएं। फिर से यह स्पष्ट करते हैं कि इस रिसर्च का उद्देश्य उन संसाधनों को समुदाय पर थोपना नहीं है बल्कि इसे होने वाली अगली सामूदायिक बैठक (6 सितम्बर) को समुदाय के सम्मुख रखना है।

6. योजना बनाओ – समस्याओं के समाधन के लिए

सितम्बर 4 को आयोजित होने वाली अन्य सामूदायिक बैठक में प्रथम समस्या के समाधन हेतु प्लान एक्शन बनाया जाना है। योजना में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन क्या करेगा, कब ये किया जाएगा और कौन होने वाले किस खर्च के लिए भुगतान करेगा। जबकि संभव है कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता एक्शन प्लान के सदस्य होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता अधिक जिम्मेदारियों को न लें। अगर निवासी सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हैं तो यह प्रक्रिया के प्रति रूचि की कमी का संदेश देता है और तब हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि आगे बढ़ने से पहले उनमें तसल्लीबख़्श हद तक रूचि उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करें। योजना का यह चरण इस बात का भी द्योतक होगा जिसमें परमेश्वर इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में परिचित होगा। भारत के बहु–विश्वासीय परिक्षेप में सामूदायिक समस्याओं के समाधान के लिए लोग अपनी परम्परा के अनुसार परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे बुलाने हेतु राजी होंगे।

7. काम करो – योजना के अनुसार

निवासी जो एक्शन प्लान (कदम 6 से) के अनुसार कदम बढ़ाने को तैयार हो गए हैं, उसके बाद आगे का कार्य आरंभ करें। अक्सरहां इस कदम में वर्तमान सरकारी सेवाओं को लागू करने के लिए सरकारी अफसरों से बातचीत करना भी शामिल होता है जो निवासियों को उपलब्ध होना चाहिए। प्रयोगिक रूप से इसमें सम्मिलित होगा, उन आवेदन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, जो इस पुस्तिका में दिये गये हैं।

8. सोचो – काम कैसा था ?

अगर प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चलने के बाद, निवासियों को समस्या में समाधान के सफलता मिलती है तो इस सफलता के आनन्द को मनाना महत्वपूर्ण है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें आवश्यकता है कि हम नया एक्शन प्लान बनाएं और इस मैनुएल में दिए गये मध्यस्थता के कदम का और अपने सीखे गए कदम 7 का प्रयोग करें।

6–8 करते रहना जब तक सफलता न मिले या लगता है कि सफलता नहीं मिल सकती

9. अगला समस्ये को योजना बनाना – संस्थाओं के निम्न सहयोग के कम और निवासियों के अधिक सहयोग से

प्रथम समस्या पर निर्णय के बाद हम कदम 4 पर आते हैं और दूसरी सामूदायिक समस्या को हल करने के लिए चुनते हैं। ऐसा करने से हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता कम जिम्मेदारी लेते हैं जबकि निवासियों को अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह, निवासी, मुख्य रूप से 'नेक हृदय लोग' समस्या समाधान की समस्त प्रक्रिया को अच्छी तरह सीखते हैं और बाद में वे बिना संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग के उसे कर सकते हैं।

10. सी.बी.ओ (समुदाय आधारित संस्था) बनाना

कदम–1 में पहचान किए गए 'नेक हृदय लोग' और समस्या समाधान की प्रक्रिया में सिखाए गए लोग अन्त में एक स्वतंत्र समुदाय आधारित संस्था का निर्माण करेंगे और वे स्वंय सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा उस क्षेत्र से बाहर चले जाने के बाद सामूदायिक विकास के कार्य को दिशा देंगे। कुछ समय बाद वह समूह एक औपचारिक सामूदायिक कल्याणकारी संस्था को पंजीकृत कराएगी ताकि उसे सरकार के साथ मामले को हल करने और अधिक जिम्मेदारी लेने को अधिकार प्राप्त हो सके।

2 अतिरिक्ति – सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की टेबल

सेवा	पृष्ठ	ए.पी.एल हेतु	बी.पी.एल हेतु	रा.ग्रा.स्व. मंत्र के अन्तर्गत यहां	भारत निर्माण के अन्तर्गत यहां	स्वोंच्च न्या. के कमशिनर के तहत यहां
पीने का पानी	6	*	*		*	
राशन कार्ड	7	*	*			*
बी.पी.एल राशन कार्ड	7		*			
अंत्योदय कार्ड	7	*				*
आंगनवाडी	8	*	*			*
मध्यान्तर भोजन	9	*	*			*
नरेगा	10	*	*			*
गरीब आर्थिक	11	*	*			*
विधवा वृध्दा पेंशन	11		*			*
बालिका	13		*			
प्रशिक्षण	14	*	*			
स्मार्ट कार्ड	16		*	*		
टीकाकरण	17	*	*	*		
जे एस वाई प्रसव	18	*	*	*		*
विकलांगता पेंशन	19		*			
नशा पुनर्वास	20	*	*			
एच आई वी	21	*	*			
सरकारी विद्यालय	22	*	*			
छात्रवृत्ति और लाभ	23		*			
राष्ट्रीय मुक्त विध्लालयी	24	*	*			
बिजली	25	*	*		*	
गैस कनेक्शन	26	*	*			
शौचालय छूट	27		*	*		
करंजा	28	*	*			
इंदिरा आवास	29		*		*	
भूमिहीनों हेतु भूमि	30		*			
सिंचाई सुविधा	31	*	*		*	
फसल बीमा	32	*	*			
सबसीडी	33	*	*			
सड़क	34	*	*		*	
घरेलू हिंसा	35	*	*			
वेश्यावृति	36	*	*			
पहचान पत्र	37	*	*			
आधार कार्ड	38	*	*			
जन्म प्रमाण पत्र	39	*	*			
अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण	40	*	*			
बैंक खाता	41	*	*			
पैन कार्ड	42	*	*			

3 अतिरिक्त – *अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना*

अपने आवेदन में यह जानकारी ज़रुर लिखें

1 आपकी समस्या क्या है ? एक फ़ोटो के साथ अच्छा होगा ।
2 आपके आधिकार और वह नियम जिस से वह आधिकार आता है (वेबसाइट के साथ) ।
3 आवेदन साफ़ बताइए । आपको क्या चाहिए और कब तक ?
4 साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या करेंगे ।

एक प्रति मुख्य कार्यालय को भी भेज दो

नमूना

सेवा में ,
जल निगम कार्यालय ,
फजेपूर
उत्तराखण्ड

1 माई 2013

विषय – पीने के पानी की उपलब्धता न होने के सन्दर्भ में

महोदय,

1 मैं शिवकटरा क्षेत्र का निवासी हूँ । वहां के लोगों को पीने हेतु शुद्व पानी की उपलब्धता की कमी है। हमारे क्षेत्र की 2000 अबादी पर 4 हैण्डपम्प ही है । दिखाने के लिए एक फ़ोटो भी लगा है ।

2 भारत सरकार द्वारा *booklet (p.11-13)* http://bharatnirman.gov.in/download.pdf लोगों को शुद्व पानी उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, रायट्रीय जल एवं सफाई मिशन, वाटसन (यूनिसेफ) व ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक **250** की जनसंख्या पर **1** हैण्डपम्प होना चाहिए । परन्तु इस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में शुद्व पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है।

3 आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि 30 सितंबर 2013 से पहले 4 हैण्डपम्प और लगा दीजिए ।

4 इस दौरान यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सका तो इसे जल्द से जल्द दूर करवाने हेतु सूचना के अधिकार के तहत इसके बारे में जानकारी लेने हेतु मुझे मजबूर होना पडेगा।

अतः आप श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने हेतु इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी कानपुर

सहयोग की अपेक्षा में

कैलाश नाथ पाण्डेय
फजेपूर

प्रति उत्तराखण्ड जल निगम कार्यालय

अच्छा अर्जी देना

अ. तैयारी

- कोई बस्ती का निवासी साथ ले जाना।
- अगर हो सकता है, जाने से पहले मिलने का समय तय करना।
- अच्छे कपड़े पहनना।
- अपना I कार्ड साथ ले जाना।
- डायरी, कापी और पेन साथ ले जाना।
- जो कोई कागजात आप देना चहाते हैं उनके दो दो कापी बना लेना।
- जो कोई कागज़ात आपको देना पड़ेगा, उनके ओरिगिनल और कापी लेना।
- पहले से मालूम करना दफ्तर कहाँ है और कैसे जाऐं।
- पैसे लेकर जाना – अगर देर हो रही हो तो त्री व्हीलर में चलना ।
- समय पर पहुँचना।
- नियमों और नीतियों को अच्छी तरह जानले (इस वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी)अंदर जाने से पहले।
- आप अंदर जाने से पहले आप अपना धमकी को तैयार करना ।
- फ़ैसला करना कि कौन बोलेगा।

आ. मीटिंग के दौरान

- अपना परीचय देना। शायद उनका नाम, पद और फोन नम्बर को पूछना।
- अपना आनेका कारण साफ से बताना। अगर चिट्ठी देनी है तो उसके लिए "रीसीव्ड" मोहर लगवाना।
- खामोश रहो। अगर जगड़ा हो तो आप हरेंगे।
- जो कुछ भी अफसर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना (कभी कभी अफसर अपनी नामुनासिब बातें सुनकर उस के बदले कुछ मुनासिब बात बताएंगे)।
- समय तय करना कि आधिकारी कब आपके काम करेंगे।
- साफ से बताना कि आप क्या क्या करेंगे और कब।
- शुक्रिया कहना।

इ. डीब्रीफ

- अगर कोई आप के साथ गया था, उससे पूछना मीटिंग आप के लिए कैसी थी।

ई. लिखना

- अपने फाइल में लिखना मीटिंग का समय और तारीख, किससे मिले, क्या नतीजा हुआ, कोई खर्च जो हुई हो, जो कोई कागजात दिए उस की कापी लगाना।
- अगला कदम अपनी डायरी या कापी में लगाना।

उ. अगले कदम

- अगर आप ने कुछ करने को कहा, तो उसे करना।
- अगर अफसर ने कुछ करने का वादा किया, तो फोन करके मालूम करना कि होने वाला, हुआ या क्या हुआ।
- अगर सफलता हो तो जरूर आफ़सर को शुक्रिया कहना।

4 अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है?

कई बार सरकारी कर्मचारी आपके आवेदन पत्र को नहीं लेते या उन्हें नियत तरीके से आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें घूस नहीं मिल जाती। वो कभी सीधे तरीके से नहीं बोलते , चाय पानी या कुछ दे दो बोल के मांगते हैं। कभी कभी सीधे बोलने के बजाय वो दलाल द्वारा सेवा वेतन बोल के सरकारी काम कराते हैं, जिसमें से कुछ पैसा कर्मचारी को सरकारी काम करने के लिए दिया जाता है। नमूने के तौर पर, एक बच्चे के जन्म पत्र को लेने के लिए 700रू लगते है। उसी तरह जहाँ ज्यादा कार्य है वहाँ ज्यादा की घूस होती है, जैसे राशन कार्ड या कोई भी ज़रूरी दस्तावेज़ ऐसे भुगतान की कोई रसीद भी नहीं होती हैं, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो जाता है की किसी ने धुस ली हैं। अगर कर्मचारी ने मना कर दिया की उसने धुस नहीं ली है। ऐसी घूस काफी ज्यादा रूपयों में भी दी जाती है, कई बार इन स्थान पर आने के लिए (सरकारी नौकरियों) भी बहुत घूस दी जाती है इसलिए इन जगहों में घूस लेने की संभावना बहुत होती है। बहुत लोग राशन कार्ड या दुसरे दस्तावेज़ लेने के लिए उत्सुक होते हैं की उन्हें धुस देने में कोई परेशानी नहीं होती। यह साफ़ ज़ाहिर होता है की ऐसे कामों का कोई फायदा नहीं होता जब की कई बार मायूसी ही मिलती है हालाकि इस शेत्र में कई कठनाई है।

क्या समस्याएँ है इस संगठन में ?

- जितना ज्यादा घूस दी जाएगी उतना ही ये संस्थान में उलझती चली जाएगी ।
- भ्रष्टाचार से गरीब बिलकुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो घूस देने में सक्षम नहीं होते, वो उन्हीं सेवाओं से वंचित रह जाते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए कई विधवाओं को उनकी पेंशन नहीं मिलती, गरीबों को बी पी एल कार्ड नहीं मिलता क्योंकि वो धुस नहीं दे पाते।
- या तो फिर सच्चे कर्मचारी को यह कार्यालय भ्रष्ट बना देते हैं।
- यही घूस इन कार्यालयों को धीमें कर देती हैं जिन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

हम क्या कर सकते है अगर हमसे धुस मांगी जाये तो ?

क) बात करने से पहले

- अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, कितना लागू भुगतान हैं, इस पुस्तिका को इस्तेमाल करके ताकि आपको बेवकूफ ना बनाया जाये।
- जहाँ भी मुमकिन हो, अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें या चिठ्ठी लिखकर जिससे आप धुस देने से दूर रहें ।
- लिखित आवेदन के लिए अतिरिक्त 3 (46) को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कर्मचारी को लगे की आप कितने गंभीर हैं अपने पत्र में ।
- अपने साथ किसी को साथ लेके जाएँ ताकि आपके पास गवाह हो अगर कोई आपसे धुस मांगे।

ख) बातचीत के दौरान अगर कोई कर्मचारी चाय पानी या कुछ देने को कहे तो

- उसे पूछे की उस भुगतान के बारे में कहाँ लिखा है (जिसके उसकी गलती पर रोशनी पड़े)
- उससे कहें की आप भुगतान देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्च्ची दे(इससे उसके गलत कामो की साफ जानकारी मिलेगे़)
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस पास के लोग सुन सकें और वो कर्मचारी शर्मिंदा हो जाए।
- अगर वो फिर भी ज़ीद करे तो उसे दिखा के उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें और उसे पता चले की आप सब लिख कर ले जा रहें । दिन, समय, जगह और मांग को लिख लें। उस कर्मचारी का नाम और पद बताने में आना कानी करे तो उसके पहचान की जानकारी प्राप्त करें तो उसके बिले या मेंज़ पर रखी कोई चीज़ से।

ग) बातचीत के बाद आप निर्णय ले सकते हैं आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते है या नहीं अगर उसके नियत कार्य करना चाहते हैं तो

- संचिप्त में सारा निवेदन लिखें की क्या हुआ था, दिन, समय, कर्मचारी और उसकी मांग के बारें में।
- उस कर्मचारी के मालिक का नाम पता लगवाएं (दुसरों से या वेबसाइट से या इस पुस्तिका से़) ।
- अपनी लिखित शिकायत उस बड़े अफसर को दे (या फिर किसी भी सहायता संगठन जो सहायता के भाग में दी है इस पुस्तिका से)
- लिखित शिकायत देने के बाद, प्राप्त स्टाम्प ज़रूर से ले, उस अनुरोध में यह भी बताएं की वो कार्यालय क्या कदम उठाएगी उस कर्मचारी के विरोध और इस आशंका में की अगर दृढ कदम नहीं उठाए गए तो सुचना के अधिकार *RTI* में शिकायत भी भेज सकते हैं ।
- अगर फिर भी कुछ न हो तो सी बी आई के **भ्रष्टाचार के विरोधी** का नंबर 9968 081216,7,8 को शिकायत दीजिए ।
- फिर भी कार्य न हो तो किसी संस्था जो वहां कार्य कर रहा हो मिले या उमकपं के पास जाएं अतिरिक्त 6 (51) ।

5 अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी

1. सूचना का अधिकार कब लाभदायक है?

क. व्यक्तिगत समस्याएं (जैसे पेंशन के आवेदन का आगे न बढ़ पाना)

- जबकि आपने किसी सरकारी लाभ के लिए आवेदन किया हो (इस पुस्तिक में दिए गए आवेदन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए)
- सामान्य अवधि समाप्त हो गई हो; और
- वांछित पूछताछ (इस मैनुअल में दिए गए प्रथम मध्यस्थता का प्रयोग) से काम न बना हो।

ख. सामुदायिक समस्याएं (जैसे कूड़ा न उठाया जा रहा हो)

- जबकि एक जनसेवा जिसे होना चाहिए, न हो रही हो।

2. सूचना के अधिकार का आवेदन किस तरह लिखा जाए?

क. आवश्यक जानकारी

- जन सम्पर्क अधिकारी के विभाग और पता;
- तिथि;
- ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' लिखें;
- क्या जानकारी चाहिए (देखें नमूना नीचे)
- शुल्क रू.10/– (रसीद लेना स्मरण रखें) (बीपीएल कार्डधारी को कोई शुल्क नहीं, कार्ड की प्रति संलग्न करें)
- आपका हस्ताक्षर (आवेदक का);
- आपका नाम;
- आपका पता; और
- आपका फोन नम्बर।

ख. किस प्रकार प्रश्न पूछें (नमूना नीचे देखिए)

1 पहले बताइए कि आपने अवेदन कब की और उसका प्रति लगाओ ।
2 पूछो कि उनके नियम के अनूसार कितना समाय लगना चाहिए ।
3 पूछो कि किस अफ़सर ने क्या क्या काम किया है किस तारीख को।
4 पूछो कि क्या सज़ा हुई आफ़सर को जिसने ज्यादा समय लिया ।
5 पूछो कि आपका काम कब पूरा हो जाएगा ।

''क्यों'' प्रश्न न पूछें।

3. किसको/कहां अपना आरटीआई दें

क. आरटीआइ सम्बंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पीआइओ) को सम्बोधित किय जाना चाहिए।
ख. पी.आइ.ओ. की सूची के लिए देखें:

- www.righttoinformation.org or
- www.rti.gov.in

ग. अगर आप सम्बंधित पार्टी हैं तो आप जिसे सरकारी विभाग से प्रश्न कर रहे हैं उसके द्वारा परेशान किए जाएंगे, आप डाक द्वारा आटीआइ भेजें। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट का प्रयोग करें ताकि आपके पास प्रमाण रहे। आरटीआइ के लिए भुगतान पाने वाले की लाईन खाली रख कर पोस्टल आर्डर के द्वारा शुल्क का भुगतान करें।
घ. अगर आरटीआई सम्बंधित सरकारी विभाग तक नहीं पहुंचा है तो ये पीआइओ की जिम्मेदारी है कि वह उसे सम्बंधित सही विभाग को भेजे। आरटीआई का उत्तर 30 दिनों के अन्दर आ जाना चाहिए।

If you win the appeal then PIO can be fined Rs250 per day up to maximum of Rs20,000 which is then awarded to the party lodging the RTI.

नोटः आरटीआइ के अधिक उदाहरण के लिए देखें दिल्ली स्थित संस्था कबीर द्वारा संपादित *'Drive Against Bribe with RTI' Tel 22485139 e-mail: kabir.rti@gmail.com*

(सूचना का अधिकार आवेदन का नमूना)
(केवल बोल्ड को बदलना है)

जन सूचना अधिकारी
सब डिवीजनल मैजिस्ट्रट
चमोली जिला
वीवर्स कॉलोनी, उत्तराखण्ड

5 माई 2013

विषय: आरटीआइ अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
नजमा खातून के जन्म प्रमाण–पत्र के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

1 **मैंने अपनी बेटी नजमा खातून के जन्म प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि 2 अक्टूबर 2001) के लिए चमोली जिला के एस.डी.एम कार्यालय में 5 नवंबर 2012** को आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवही नहीं की गई है। इसलिए कृपया कर के निम्नलिखित जानकारी देने की अनुकम्पा प्रदान की जाए:

2 आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, एक **जन्म प्रमाण–पत्र** जारी करने हेतु कितनी अवधि का समय दरकार होता है ?

3 मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिस अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्वाई की ?

4 जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और देरी का कारण बना, उसके विरूद्ध क्या कार्यवही की जाएगी? ये कार्यवही कब की जाएगी ?

5 मैं अपनी बेटी का जन्म प्रमाण–पत्र कब तक प्राप्त कर पाऊंगा ?

मैं इस आरटीआइ के साथ आवेदन शुल्क (रू. 10) अलग से जमा कर रहा हूं।

अगर आप महसूस करते हैं कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की अनुकम्पा प्रदान करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूं।

धन्यवाद

शाजिअखातून

शाजिअखातून
125 गली न0–12,
चमोली, उत्तराखण्ड
फोन: 9856 478345

6 अतिरिक्त – मीडिया को इसतेमाल करना

सशक्तिकरण के लिए मीडिया का इस्तेमाल कब काम का हैं ?

- समाजिक बदलाव को बढ़ाने के लिए;
- जनता में जागरुकता फेलाने के लिए;
- सरकारी फेसलों पर प्रभाव डालने के लिए;
- जनता को फंकश्न, हर्ताल वगैरा के बारे में जानकारी देने के लिए ।

1 मीडिया को क्या व कैसै जानकारी दें :

- पहले जानकारी का मक्सद स्थापित करो (जैसे कानून बदलने के लिए डबाव डालना, समाजिक जागरुकता फेलाना, आदि।)
- संदेश की योजना करो व सोचो के यह संदेश किस को पहुंचना हैं (जैसे महिला, जवानों, आदि) ;
- उपाय बनाने के लिय ज़रूरी सवालें:
  - किस समस्य को स्पष्ट करना हैं?
  - स्मस्य का कोई हल हैं?
  - क्वेनसी सरकारी/गैर सरकारी समुदाय स्मस्य का हल कर सकता हैं ?
  - डस समुदाय का ध्यान कैसा पकड़ें ?
- संदेश को अप्रतिरोध्य, प्रभावशाली व संक्षिप्त बनाओ ।

2 मीडिया से समपर्क करना :

- खुद अखबार में देखकर पता करो कि कोन्से रिपार्टर इस समस्य के बारे में लिखते है;
- समस्य के अनुसार, स्थानीय/राष्ट्रीय, अखबार/टी वी इस्तिमाल करो।
- सूची बनाओ जिस मे रिपार्टर, चैनल आदि की फोन, ईमेल एड्रेस आदि है ।
- मीडिया से अच्छे ताल्लुक रखो.

3 मीडिया के इस्तेमाल के तरीके

- स्माचार निमीचन;
- संपादक को चिटठी;
- ओप एद;
- मीडिया वर्कशाप (मीडिया को किसी समस्य के बारे में बताना);
- इंतरव्यू;
- प्रैस कांफ्रेस

जब संदेश मीडिया में आ गया, कहानी की कटिंग (अगर अखबार में हो) या ब्रादकास्ट की कापी (अगर टी वी हा) रख लो। यह बाद में काम आ सकता है ।

4 ओर जानकारी के लिए देखिए:

मीडिया एदवोकेसी मैनुअल, अमेरिकान पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (ए.पी.एच.ए) वेबसाइट:
www.apha.org

7 अतिरिक्त – (प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप)

संक्षेप	पूरा नाम	अर्थ / मतलब	पृष्ठ
ए.ए.वाई	अंत्योदय अन्न योजना	असहायों के लिए राशन कार्ड	7
ए.एन.एम	असिस्टैंट नर्स मिडवाइफ़	प्रसव हेतु प्रशिक्षित नर्स	18
ए.पी.एल	गरीबी रेखा से ऊपर	स्थायी निवासियों के लिए राशन कार्ड	7
ए.आर.टी	एन्ओ रेट्रो वाइरल थेरापी	एच आई वी – एडज़ का मरीज़ का इलाज	21
आशा	एक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एडवोकेट	प्रसव मामले में प्रशिक्षित स्थानीय महिला	18
ए.डबलयू.सी.	ऑगनवाड़ी सेंटर	जहां बच्चों को खाना मिलते हैं	8
बी.डि.ओ	ब्लोक डिवेलपमेंट ओफिसर	जनपद अधिकारी	29
बी.एल.ओ	बुथ लेवल ओफिसर	अधिकारी जो मतदान मोहिम चलाते हैं	37
बी.पी.एल	गरीबी रेखा से नीचे	भारत सरकार द्वारा गरीबी का निर्धारण	7,11,16
सी.बी.ओ	सामुदायिक स्तर गैर सरकारी संस्था	जिम्मेदारियों के लेने वाला एम सामुदायिक समूह	43
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में अधिक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र	16–18
सी.एम.ओ.	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	जिला स्तर पर स्वास्थ्य	16–18
डी.एम	जिला मैजिस्ट्रट	जिला का मुखिया	3
ई.आर.ओ	मतदाता पंजीकरण अधिकारी	मतदाता सूची में नाम हेतु आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी	3,37
एफ.आई.आ	फ़र्स्ट इंफ़र्मेशन रिपर्ट	पुलिस को पहले रिपर्ट जब अप्राध होता है	35
एफ.एस.ओ	फूड एंड सप्लाई ओफ़िसर	राशन काड का आधिकारी	7
आइ.ए.वाइ.	इंदिरा आवास योजना	गरीबों के लिए आवास की योजना	29
आई.सी.डी.एस	सम्पूर्ण बाल विकास योजना	योजना जिसके अन्दर आंगनवाडी आता है	17
जे.एस.वाई	जन सुरक्षा योजना	अस्पताल में जन्म पर आर्थिक मदद	18
एम.एम.एस	मध्यान्तर भोजन योजना	सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क भोजन	9
एम.एल.ए	विधान सभा का सदस्य विधायक	राज्य विधान सभा का सदस्य	3,7,11
एम.पी	लोक सभा सदस्य	राष्ट्रीय पार्लियामेंट लोक सभा का सदस्य	3
एन.आर.जी.ए	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम	ग्रामीण परिवारों हेतु रोजगार योजना	10
एन.आर.एच.एम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	ग्रीमीण स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना	17–18
ओ.बी.सी	अन्य पिछड़ी जाति	कुछ लाभ प्राप्त करने योग्य पिछड़ी जातियां	40
पी.एच.सी	पब्लिक हेल्थ सेंटर	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में कम सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र	16–18
पी.आई.ओ	लोक सूचना अधिकारी	वह अधिकारी जिसके पास आर.टी.आई दिया जाता है	49–
आर.एस.बी.वाई	राष्ट्री सुरक्षा बीमा योजना	बी.पी.एल नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना	16
आर.टी.आई	सूचना का अधिकार	सूचना पाने के अधिकार का कानून	49
एस.सी / एस.टी	अनुसूचित जाति / जनजाति	कुछ लाभों को पाने योग्य अत्यन्त पिछड़ी जाति	40
एस.डी.एम	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	उ.ख. के सब डिवीजन का मुखिया	39–40

आवेदन पत्र

1 आवेदन पत्र – रशन कार्ड आवेदन (कृपया पृष्ठ 7 देखें)

कार्डधारी द्वारा दिया जानेवाला आवेदन सह घोषणा पत्र

(1) कार्डधारी का पूरा नाम ----------

(2) कार्डधारी के पिता का नाम ----------

(3) कार्डधारी का नौकरी या पेशा या ब्यौरा ---------- पूर्व कार्ड की संख्या कार्ड नं-

(4) प्रतिष्ठान जहाँ कार्य करते हैं ---------- कुल यूनिट बड़ा छोटा

(5) कार्डधारी के निवास स्थान का पूरा पता संबद्ध दुकानदार का नाम व पता

(क) मकान/क्वार्टर संख्या/प्लाट संख्याः

(ख) मुहल्ले का नामः

(ग) नगरपालिका की वार्ड संख्याः होल्डिंग संख्या -

(घ) मकान अपना है या किराये काः

(6) यदि किराये का है तो मालिक का नामः

(7) कार्डधारी के परिवार के सदस्यों की सूची जो कार्डधारी के साथ अनुभाजन क्षेत्र में रहते हैं।

क्रम संख्या	पूरा नाम	उम्र	कार्डधारी से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

घोषणाः मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई राशन कार्ड नहीं है, न ही उनके नाम किसी अन्य चालू राशन में शामिल किये गये हैं। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ क मेरी जानकारी और विश्वास है सभी सूचनाएँ पूर्ण एवं सही हैं। यदि हमारे नाम या हमारे परिवार के किसी भी सदस्यके कोई जाली राशन कार्ड या अन्य स्थान पर कोई राशन कार्ड पाई जाए तो वह अवैध जिम्मेवारी मुझपर होगा और इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई का हकदार हूँगा/हूँगी।

कार्डजाँच करनेवाले आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर

सत्यापित करनेवाले प्राधिकारी का पदनाम तथा हस्ताक्षर

कार्डधारी का हस्ताक्षर
तारीखः

2 आवेदन पत्र – नरेगा

पृष्ठ 10 देखो

ANNEXURE B-1

DETAILS NEEDED FOR APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER EGS

Registration No. (to be assigned by Gram Panchayat)

1. Names/Age/Sex of Applicants

S.No.	Name	Age	Sex
i)			
ii)			
iii)			

2. Name of Village:
3. Name of Gram Panchayat:
4. Name of Block:
5. SC/ ST/IAY/LR. Beneficiary

Photograph of Adult members willing to work.

I/We certify that the particulars given above are correct ____________________

____

Specimen Signature/ Thumb impression of adult Members willing to work.

3 आवेदन पत्र – पंशन पृष्ठ 11देखे

APPLICATION FORM FOR IGNOAPS / IGNWPS / IGNDPS

(To be filled in BLOCK Letters)

Application Form No.

Date of Application [DD/MM/YYYY]

Photo of Applicant

1. Scheme Name (Please √) : **IGNOAPS** ☐ **IGNWPS** ☐ **IGNDPS** ☐
2. State :
3. District :
4. Area : **Rural** ☐ **Urban** ☐
5. Block/Sub District/Municipal:
6. Gram Panchayat / Ward :
7. Village :
8. Habitation Name :
9. **Name of Applicant**
   - First Name :
   - Middle Name :
   - Last Name :
10. Father / Husband Name :
11. Nominee Name :
12. **Address of Applicant**
    - House No :
    - Street :
    - Locality :
    - Pin Code :
13. **BPL Details**
    - Year :
    - Location :
    - Family ID No. :
    - Member ID No.

14. Sex : Male ☐ Female ☐

15. Date of Birth : ☐☐☐☐☐☐☐☐ [DD / MM / YYYY]

16. Age : ☐☐☐☐☐☐ [Year/Months/Days]

17. Applicant Annual Income : ☐☐☐☐☐☐

18. Category : SC ☐ ST ☐ OBC ☐ Others ☐

Minority : Yes ☐ No ☐

19. Widow : Yes ☐ No ☐

20. Disabled : Yes ☐ No ☐

21. Type of Disability - I : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

22. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

23. Type of Disability - II : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

24. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

25. EPIC No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

26. Ration Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

27. Mode of Payment : Bank ☐ Post Office ☐ Cash ☐ Money Order ☐

Bank / P.O. Name : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Name of the Branch : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Account No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

28. Attested by : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

29. Required Documents :

Sl. No.	Documents	Date of Issue	Issuing Authority Name
1.	AGE CERTIFICATE		
2.	INCOME CERTIFICATE		
3.	RESIDENCE CERTIFICATE		
4.	DISABILITY CERTIFICATE		
5.	DEATH CERTIFICATE (For Widow only)		

(Signature / Left Thumb Impression of the applicant)

30. Approve Application : Accept ☐ Reject ☐

Reasons with Remarks : _____

_____

Verification Remark by Verifying Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Verifying Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Scrutinizing Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Scrutinizing Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Approving Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Approving Authority)

Name :
Designation :

4 आवेदन पत्र – विक्लांगिता प्रमाण पत्र आवेदन (कृपया पृष्ठ 19 देखें)

Form-I
APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS WITH DISABILITIES
(See rule 3)

1. Name: (Surname) _____ (First name) _____ (Middle name) _____
2. Father's name: _____ Mother's name: _____
3. Date of Birth: (date) _____ / (month)_____ / (year)_____
4. Age at the time of application: _____ years
5. Sex: _____ Male/Female
6. Address:
(a) Permanent address
_____
_____
(b) Current Address (i.e. for communication)
_____
_____
(c) Period since when residing at current address
_____
7. Educational Status (Pl. tick as applicable)

- *I. Post Graduate*
- *II. Graduate*
- *III. Diploma*
- *IV. Higher Secondary*
- *V. High School*
- *VI. Middle*
- *VII. Primary*
- *VIII. Illiterate*

8. Occupation _____
9. Identification marks (i) _____ (ii) _____
10. Nature of disability: locomotor/hearing/visual/mental/others
11. Period since when disabled: From Birth/Since year _____

12. (i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in the past _____YES/NO
(ii) If yes, details:

- *a. Authority to whom and district in which applied _____*
- *b. Result of application _____*

13. Have you ever been issued a disability certificate in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further, state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

_____

(Signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with mental retardation, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)
Date:
Place:
Encl:

1. *Proof of residence (Please tick as applicable)*
    a. *ration card,*
    b. *voter identity card,*
    c. *driving license,*
    d. *bank passbook*
    e. *PAN card,*
    f. *passport,*
    g. *telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,*
    h. *a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Govt. school,*
    i. *in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, etc., a certificate of residence from the head of such institution.*
2. *Two recent passport size photographs*

(For office use only)
Date:
Place:
Signature of issuing authority
Stamp

5 आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 19 देखें)

Rail Travel Concession Form for the Orthopedically Handicapped

(Rule 101, Serial No.25)
CONCESSION CERTIFICATE

Paste passport size photograph Duly signed and stamped by the Issuing Doctor

Form the purpose of grant of rail concession to orthopedically handicapped/paraplegic persons/ patients to be used by the Govt. Doctor

This is to certify that Km./ Shri./ Smt. ....., whose particulars are furnished below, is a bonafide deaf and dumb person/patient and **CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT**.

Particulars of the Orthopaedically handicapped/ Paraplegic person/ patient :

1. Address : _____
2. Father's/ Husband's Name : _____
3. Age : _____
4. Sex : _____
5. Nature of handicap (To be written by Doctor whether the disability is temporary or permanent) : _____
6. Causes of loss of functional capacity : _____
7. Signature or Thumb Impression of Orthopaedically handicapped/ Paraplegic person/ patient (not necessary for those whose both hands are missing or non-functional) : _____ _____

Place : _____
Date : _____

Signature of Govt. Doctor

_____
Clear Seal of Govt. Hospital/ Clinic

_____
Seal Containing full name and Regd. No. of Doctor

* Strike out where not applicable Note:

1. The certificate should be issued only to those deaf and dumb persons/ patients WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT. The photo must be signed and stamped in such a way that Doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
2. In the case of temporary disability, the certificate will be valid for five years from the date of issue. In the case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 yearsw and (3) in the case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain for whole life of the concerned person. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a free certificate. A photostat copy of this certificate is accepted for the purpose of grant concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
3. No alteration in the form is permitted.

6 आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र(कृपया पृष्ठ 37 देखें)

FORM 6

[See rules 13(1) and 26]

Application for inclusion of name in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer

……Assembly/ Parliamentary £ Constituency.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I. Applicant's details	Name			Surname (if any)
Age as on 1st January ……..#		Years:	Months:	Sex (male/female/others):
Date of birth, if known:	Day:		Month:	Year:
Place of birth:	Village/ Town:			
	District:			State:
* Father's/ Mother's/ Husband's Name	Name			Surname (if any)
II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)				
House/ Door number:				
Street/ Area/Locality/ Mohalla/Road:				
Town/ Village:				
Post Office:			Pin Code:	
Tehsil/ Taluka/ Mandal/ Thana:				
District:				

III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Constituency:

Name	Relationship with applicant	Part number of the roll of the Constituency	Serial number in that Part	Elector's Photo Identity Card Number
1.				
2.				

£ In case of Union territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu & Kashmir.

\# Please give the year i.e. 2007, 2008, etc.

* Strike out the inappropriate alternative

IV. Declaration

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: -

(i) I am a citizen of India;

(ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since ………..(date, month, year)

(iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency;

(iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly constituency;

Or

*My name may have been included in the electoral roll for________________ Constituency in ______________________State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.

Full Address (Earlier Place of ordinary residence)	Electors Photo Identity Card number (if already issued)__________________
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________	Date of issue ___________________

Place:

Date: Signature or thumb impression of the applicant

A) Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

* Strike out the inappropriate alternative.

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of Shri/Smt./Km.…………………………………………………………………………..for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for *acceptance [under or in pursuance of rule 18*/20*/26(4)]£ or* rejection [under or in pursuance of rule 17/20*/26(4)£]:

Place: Date	Signature of Electoral Registration Officer	(Seal of the Electoral Registration Officer)

£ During continuous updating after final publication of electoral roll.

* Strike out the inappropriate alternative.

Remarks of Field Level Officers (e.g BLO, Designated Officer, Supervisory Officer)

[FORM 6 Contd.....]

Receipt for application

Received the application in Form 6 of ** Shri/Shrimati/Kumari……..
**Address……

Date……

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer
(Address) ……

** To be filled in by the applicant.

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6
General Instructions

Who can file Form-6

1. First time applicant on attaining age of 18years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised.

2. Person shifting his / her place of ordinary residence outside the constituency in which he / she is already registered.

When Form-6 can be filed

1. The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is to be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.

2. Only one copy of the application is to be filed.

3. Application for inclusion of name can be filed through out the year even when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in duplicate.

Where to file Form-6

1. During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency.

2. During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed only with the Electoral Registration Officer.

How to Fill the Form-6

1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

2. Name (With Documentary Proof)
The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt. Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.

3. Age (With Documentary Proof)
The age of the applicant should be eighteen or more on 1st January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The age should be indicated in years and months.

e.g. A person born on or upto 1/1/1991 will be eligible for inclusion in the electoral roll which is being revised with reference to 1/1/2009. Persons born on 2/1/1991 or thereafter upto 1/1/1992 shall be eligible for inclusion during the next revision with reference to 1/1/2010.

4. Sex
   Write your sex in full in the space provided e.g. Male / Female/Others. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.

5. Date of Birth (With Documentary Proof)
   Fill up the date of birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy.
   Proof of date of birth to be attached are as under:
   (i) Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or
   (ii) Birth certificate from the school (Govt. / Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or
   (iii) Illiterate or semi-illiterate applicant who is not in possession of any of the above document are required to attach a declaration in prescribed format by either of the parents already included in the electoral roll in support of the applicants age. The format will be supplied on demand.

N.B. In the case of applicants born on or after 26.01.1989, only birth certificate issued by the Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths is acceptable.

6. Place of Birth
   In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State.

7. Relation's Name:
   In case of unmarried female applicant, name of Father / Mother is to be mentioned. In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

8. Place of Ordinary Residence
   Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered, in the space provided.
   Proof of ordinary residence to be attached are as under:
   (i) Bank / Kisan / Post Office current Pass Book, or
   (ii) Applicants Ration Card / Passport / Driving License / Income Tax Assessment Order, or
   (iii) Latest Water / Telephone / Electricity / Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his / her immediate relation like parents etc., or
   (iv) Postal department's posts received / delivered in the applicant's name at the given address.

NOTE: If any applicant submits only ration card as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories.

9. Details of Family Members Already Included in the Electoral Roll
   Please fill up name and other particulars of immediate family members i.e. Father / Mother / Brother / Sister / Spouse included in the current electoral roll of the constituency. Name of any other relation like uncle, aunt, cousin brother / sisters etc. not to be mentioned.

10. Declaration
    Please indicate date from which you are residing in the given address. In case the exact date is not known, fill-up month and year.
    If your name is already included in the electoral roll of any other constituency, please write legibly the full previous address with PIN code.

If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

Miscellaneous

In many places the photograph of the elector is also printed in the electoral roll. You have the option to submit one recent coloured passport-size photograph alongwith the form. The photograph will be used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, if required.

7 आवेदन पत्र – आधार कार्ड(कृपया पृष्ठ 38 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

आधार

ENROLMENT FORM (आवेदन पत्र)

Please use CAPITAL letters (कृपया स्पष्ट अक्षरो में भरें)
Date (दिनांक): _ _ / _ _ / _ _ _ _

Part A – Primary Details / (क) प्राथमिक जानकारी

Name:
(नाम):_____

☐ Mother माता ☐ Father पिता ☐ Husband पति ☐ Guardian's Name अभिभावक का नाम _____

(Name of Mother/Father/Guardian is must for children below 5 years of age)
(5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये माता/पिता/अभिभावक का नाम अनिवार्य है)

Date of Birth:
जन्म तिथि: _ _/_ _/_ _ _ _

If not known, Age: _ _ _
यदि नहीं पता, उम्र: _ _ _

Gender: लिंग: ☐ Male पुरुष ☐ Female स्त्री ☐ Transgender अन्य

Residential address: आवासीय पता:

c/o:_____

House No. and name: घर का नम्बर और नाम:_____

_____

Street No. and name: मोहल्ला/गली नम्बर और नाम: _____

_____

Landmark: मुख्य पहचान: _____

Village / City: ग्राम/शहर:_____

District: ज़िला: _____

State: राज्य:_____ Pin code: पिन कोड: ☐☐☐☐☐☐

Part B - Additional Information / (ख) (अन्य जानकारी)

Phone No. / Mobile No. (optional): फोन नम्बर / मोबाइल नम्बर (इच्छाधीन): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email (optional): ईमेल (इच्छाधीन): _____

NPR Receipt No.: (एन.पी.आर. रसीद नंबर):_____

Part C - Financial Information / (ग) (वित्तीय जानकारी)

☐ I want to open UID enabled bank A/c
मैं आधार नंबर से जुडा बैंक खाता खोलना चाहता/चाहती हूँ।

☐ I want to link my existing bank A/c to Aadhaar number and I have no objection on this issue.
मैं चाहता/चाहती हूँ कि मेरे वर्तमान बैंक खाते को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया जाए एवं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Bank name and Branch (बैंक का नाम व शाखा) _____

A/c No. (खाता संख्या)_____

For more info visit: uidnumber.org

8 आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 42 देखें)

Application for Allotment of Permanent Account Number

Under Section 139A of the Income Tax Act, 1961

(To avoid mistake(s), please follow the accompanying instructions and examples carefully before filling up the form)

To

The Assessing Officer

		Area Code	AO Type	Range Code	AO No.
Ward/ Circle					
Range					
Commissioner					

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Signature/ Left Thumb Impression

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.
I/We give below necessary particulars :

1. Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please Tick ☑ as applicable Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s ☐

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

2 Name you would like printed on the card

3 Have you ever been known by any other name? Please Tick ☑ as applicable Yes ☐ No ☐

If yes, please give that other name

(Full expanded name : initials are not permitted) Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s ☐

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

4. Father's Name (Only 'Individual' applicants : Even married women should give father's name only)

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

5. Address

R. Residential Address

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District | State / Union Territory | Pin

O. Office Address (Name of Office) (Indicating PIN is mandatory)

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District | State / Union Territory | Pin

(Indicating PIN is mandatory)

6. Address for communication Please Tick ☑ as applicable R ☐ or O ☐

STD Code | Tel. No.

7. Tel. No. | email ID

8. Sex (For 'Individual' Applicants only) Please Tick √ as applicable — Male ☐ Female ☐

9. Status of the Applicant — Please Tick √ as applicable

Individual P ☐ | Firm F ☐ | Body of Individuals B ☐

Hindu Undivided Family H ☐ | Association of Person A ☐ | Local Authority L ☐

Company C ☐ | Association of Persons (Trusts) T ☐ | Aritificial Juridical Person J ☐

10. Date of Birth / Incorporation / Agreement / Partnership or Trust Deed / Formation of Body of Individuals/ Associastions of Persons — D D M M Y Y Y Y

11. Registration Number (In case of Firms, Companies etc.)

12. Whether citizen of India ? — Please Tick √ as applicable — Yes ☐ No ☐

13(a) Are you a salaried employee ? If yes, indicate Government ☐ Others ☐

Name of the Organisation where working

(b) If you are enganged in a business/ profession, indicate nature of business or profession and fill the relevant code

(c) If you are not covered by (a) or (b) above, indicate sources of income, if any

14. Full name, address of the Representative Assessee, who is assessable under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in column 1 to 13.

Full Name(Full expanded name : initials are not permitted) Please tick ✓ as applicable — Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s ☐

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

Address

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District | State / Union Territory | Pin

(Indicating PIN is mandatory)

15. I/We have enclosed ____ as proof of idenity and ____ as proof of address

I/We ____, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Verified today, the — D D M M Y Y Y Y

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)